राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] बारहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या : 2

बुधवार

19 सितम्बर, 2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्षः प्रश्न। श्री रामनारायण मीणा।

राजकीय समारोहों/शिलालेखों में क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा

1. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शिलान्यास, उद्घाटन आदि सरकारी समारोहों/कार्यक्रमों में स्थानीय विधायकों को भागीदारी दिये जाने तथा उनके नाम शिलापट्टों में अंकित किये जाने के निर्देश जारी किये हुए हैं? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रमों के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक की अनदेखी करने वाले अधिकारियों/संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का भी प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या ? विगत 4 वर्षों में बून्दी जिले में घटित इस प्रकार के प्रकरणों में की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधायक नैनवां द्वारा इस सम्बन्ध में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र क्रमांक 1556 दिनांक 26 जुलाई, 2005 लिखा गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(4) क्या सरकारी समारोहों/कार्यक्रमों में तथा शिलालेखों में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता/पदाधिकारियों के नाम लिखे जाने बाबत् सरकार द्वारा नीति निर्धारित की हुई है ? यदि हां, तो क्या तथा नहीं, तो इस बाबत् सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? इस सम्बन्ध में जारी आदेश/परिपत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा नियमों तथा इस बाबत् निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो बून्दी जिले में गत 3 वर्ष की अवधि में किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 21 मई से लेकर जो इस सरकार ने ...(व्यवधान) हत्या की है। ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से आप गोलीबारी करके राजस्थान को नहीं चला सकते। . (व्यवधान)

संसदीय सचिव (श्री ओम बिरला) (सामान्य प्रशासन मंत्री श्री कनकमल कटारा के स्थान पर):

(1) यह सही है कि संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों/समारोहों में सम्बन्धित क्षेत्र के सांसदों/विधायकों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाये। सांसदों/विधायकों को सार्वजनिक समारोहों/बैठकों में आमंत्रित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश प.10(2)प्रसु/सम/अनु-1/96 दिनांक 12.09.2005 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। जिलाधीश बून्दी से प्राप्त सूचनानुसार माननीय सांसद/विधायकगण को ऐसे समारोहों में बुलाया जाता रहा है एवं क्षेत्रीय विधायक की अनदेखी करने का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

सांसदों/विधायकों के नाम शिलापट्टों में अंकित किये जाने के निर्देश जारी नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी करने बाबत् कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): हत्यारों को आज तक कोई दण्ड नहीं मिला ...(व्यवधान) गोलियों के दम पर राजस्थान की जनता को ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): प्रश्न काल होने दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल कराओ आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल कराएं। ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम राजस्थान की सरकार से कहना चाह रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाली ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): और जो प्रश्न काल में रुचि नहीं लेते वो भले बाहर निकल जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काल का समय बरबाद कर रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है और इस पर राज्य की जनता का बहुत पैसा लगता है। हम सब के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रश्न काल करवाएं। ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): (2) प्रश्न के भाग एक के अनुसार क्षेत्रीय विधायक को सार्वजनिक समारोह में आमंत्रित करने के निर्देश जारी किये हुए हैं। जिला बून्दी से प्राप्त सूचना के अनुसार बून्दी जिले में विगत चार वर्षों में इस प्रकार का कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.पी. है चाहे आई.जी. है, उनको बर्खास्त किया जाए। ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): प्रश्न काल में व्यवधान डालना, यह अनुचित है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): गोलियों के सहारे लोकतंत्र नहीं चलेगा। ...(व्यवधान) 26 की हत्या लोकतंत्र की हत्या है। ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): (3) जी, हां। माननीय विधायक, नैनवा द्वारा मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र दिनांक 26.07.2005 पर विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहां से बोल रहे हैं, अपनी सीट से नहीं बोलते, हर सीट से बोलेंगे यह। यह कहां से बोल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये न।...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जहां से आपने भेजा वहीं से बोल रहे हैं।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): (4) जी नहीं। शिलापट्टों में उनके नाम अंकित किये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी करने बाबत् कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार से यह मांग करते हैं कि जितने भी गुर्जर आरक्षण में जो मारे गये हैं, उनके परिवार को नौकरी दी जाए।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में आकर नारेबाजी)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): (5) जिला कलक्टर, बून्दी से प्राप्त सूचना के अनुसार बून्दी जिले में विगत तीन वर्ष की अवधि में ऐसा कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: नैक्स्ट क्वेश्चन।

अनुरोध एवं मांग

गुर्जर आंदोलन के दौरान मौतों के संबंध में कार्यवाही की मांग

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में लगातार नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। माननीय सदस्यगण, वैल में खड़े माननीय सदस्यों को मैं निवेदन कर रही हूं कि वो अपने-अपने स्थान पर जा कर के बैठ जाएं। मैं वैल में खड़े चारों माननीय सदस्यों से निवेदन कर रही हूं कि वो अपने-अपने स्थान पर जा कर बैठ जाएं।

आप चारों सदस्य इस प्रकार से विधान सभा के बाकी बिजनस में बाधा डाल रहे हैं, मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। आप अपने-अपने स्थान पर चले जाएं। मुझे मजबूर नहीं करें, मुझे मजबूर नहीं करें। यह प्रश्न काल है। यह प्रश्न काल है, प्रश्नों को होने दीजिए। एक-एक प्रश्न पर लाखों-लाखों रुपया खर्च होता है तब जा कर प्रश्न का जवाब आता है और माननीय सदस्य अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं। प्रश्न काल में नहीं चलेगी आपकी मनमानी।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न काल में मनमानी नहीं चलने दूंगी। मैंने आपसे कहा अपने-अपने स्थानों पर जा कर आप बैठ जाएं। आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में प्रवेश कर नारेबाजी)

लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यस। ...(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: यह विधान सभा इस प्रकार के नारे लगाने के लिए नहीं है, यह जन समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी बात उठाने के लिए है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिलकुल, बिलकुल।

श्री अध्यक्ष: एक-एक प्रश्न पर लाखों रुपया खर्च होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे पुकारो। आप पूछो न, पूछो-पूछो। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। आप इस आसन को मजबूर न करें।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जवाब दे दिया मंत्रीजी ने। पूछो दूसरा सवाल ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हो गया जवाब आपका। अगला प्रश्न पुकारें ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह तो मिली-जुली कुश्ती है। यह बी.जे.पी. और इनकी मिली हुई कुश्ती है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह आसन आप से बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा है, आप अपने-अपने स्थान पर चले जाएं, आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। यह आसन विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा है कि आप अपने-अपने स्थान पर चले जाएं, अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में जोर-जोर से बोलना जारी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नियमों में आ जाएं, सरकार जवाब देने को तैयार है। यह नियमों में आ जाएं। राजस्थान की विधान सभा नियम और प्रक्रिया से चलती है, यह नियमों में आएं, मोशन ले कर आएं। यह मोशन ले कर आएं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार से कोई उत्तर चाहते हैं तो मोशन ले करके आएं। यदि यह प्रस्ताव ले कर आएं, यह स्थगन ले कर आएं, सरकार जवाब देने को तैयार है। यह बिना नियमों के वैल में आ कर और, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर इतने महत्वपूर्ण सवाल लगे हैं, कई माननीय सदस्य सवालों के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं। यह क्या तरीका है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य: यह कोई तरीका थोड़ी हुआ ...(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में धरना एवं नारेबाजी)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान) ट्रेनिंग दी है आपने। ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न काल करवाएं ...(व्यवधान) इनको बाहर निकालें, यह माननीय सदस्य ...(व्यवधान) उत्पन्न करते हैं इस प्रकार से तो इनको बाहर निकालिये। ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दो, तीन मैम्बर सदन का समय जाया कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न काल है। ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपको कोई तकलीफ है तो आप नियमों और प्रक्रिया से आइये ...(व्यवधान) हर चीज का जवाब तैयार है। ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह गलत तरीका है, यह गलत परम्परा कर रहे हैं। यह व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। यदि यह प्रश्न काल में रुचि नहीं रखते हैं तो इनको बाहर निकाला जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)

(श्री मदन राठौड़)

इनको बाहर निकाल दिया जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय, ताकि प्रश्न हो सकें। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनको बाहर निकालें कृपया। आप कृपा करके इनको बाहर निकालो ताकि प्रश्न काल हो सके, हमारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार हर प्रश्न का ...(व्यवधान) इनका जवाब देने के लिए तैयार है ...(व्यवधान) हल्ला करने से कुछ नहीं होता।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इसके बाद के प्रश्न हमारे हैं ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : जनता ने इसलिए नहीं भेजा कि यहां आकर हल्ला करो। ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह रुचि नहीं रखते हैं तो इनको बाहर जाना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश को बर्बाद ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ...(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप आसन से बात करो। आसन से बात करो आप। आप आसन से बात करो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्रीजी, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्यगण।

आप चार सदस्य नये हैं, पहली बार जीत कर आये हैं, आप इस बात को नहीं जानते कि जब आसन पांवों पर हो तो आपको चुप हो जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप। यह सदन तर्क-वितर्क करने के लिए है आपकी तरह से बांहें चढ़ाने के लिए नहीं है, ललकारने के लिए नहीं है यहां पर यह सदन। यह सदन तर्क-वितर्क के लिये है, इस प्रकार से ललकारने के लिए नहीं है।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में जोर-जोर से बोलना)

(श्री अध्यक्ष)

अब मैं आपसे फिर निवेदन कर रही हूं। मैं आपसे एक बार अंतिम बार निवेदन कर रही हूं। अंतिम बार निवेदन कर रही हूं आप तीनों से। माननीय सदस्य, अब मैं आप चारों से अन्तिम बार निवेदन कर रही हूं। आप मुझे मजबूर न करें ...(व्यवधान) मेरी बात सुनें पहले आप ...(व्यवधान) मेरी बात सुनिये पहले आप ...(व्यवधान) पहले मेरी सुनिये, आपको पहले आसन की सुननी पड़ेगी, आपको आसन की सुननी पड़ेगी पहले, आप आसन की बात सुनिये ...(व्यवधान) न्याय की बात कर रहे हो, आसन को सुनो तो सही, आसन को सुनिये। इस मामले में जूडिशियल इनक्वायरी बैठ चुकी है और इसीलिए ...(व्यवधान) क्या नहीं मानते, क्या नहीं मानते, क्या हाथ इस तरह से ...(व्यवधान) आसन की तरफ आपको इस प्रकार से हाथों का इशारा करने की मुमानियत है ...(व्यवधान) आप अपनी बात कहें। जूडिशियल इनक्वायरी बैठ चुकी है, अब आप और क्या चाहते हैं मुझे बताइये। अब आप यदि 195 मैम्बर्स यहां पर और हैं, यह बंधक नहीं है आपका सदन, यह आपने बंधक बना लिया सदन को, 195 माननीय सदस्य क्या यहां पर यूं ही बैठे हैं, चार आदमी खड़े हो गये और सदन को बंधक बना लिया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन महीने बाद इनक्वायरी बैठाने का मतलब क्या है, तीन महीने बाद, जब विधान सभा का सत्र आने लग गया, गृह मंत्रीजी बताएं आयोग बनाने का क्या ...

श्री अध्यक्ष: मिस्टर गुंजल, इस तरह से नहीं चलेगा, यह सदन आपका बंधक नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा यहां कि आपकी मर्जी आए सो करो, क्या तमाशा बना लिया आपने क्या समझ लिया, यह विधान सभा है, क्या समझ लिया आपने ...(व्यवधान) क्या उत्तरदायी, उत्तरदायी कर रहे हैं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, यह गुंडागर्दी है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह आसन की अवहेलना है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, इस आरक्षण ने इस देश को जलती हुई भट्टी के अन्दर झोंकने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष: मुझे तरस आता है इन लोगों पर कि चंद माननीय सदस्य, मुझे आप लोगों पर भी तरस आता है कि चार सदस्य आकर के पूरे सदन की कार्यवाही में बाधा डालकर प्रश्नकाल नहीं चलने दें, क्या तमाशा बना

(श्री अध्यक्ष)

रखा है आपने ...(व्यवधान) अन्याय की बात करते हैं यहां पर, क्या बात करते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य किसी बारे में असंतुष्ट हैं तो इस सदन का उपयोग करें। अगर उनको किसी बात में लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, हमारी कोई गलती है या हमारा कोई अपराध है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बात सुनिये, गृह मंत्रीजी क्या कह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): या हमने कोई गलती की है तो किसी भी तरीके से आएं आप अपने सवाल खड़े करें, जो हमारे पास होगा हम जवाब देंगे लेकिन मैं सोचता हूं ...

श्री अध्यक्ष: इनको तरीके से मतलब नहीं है इनको केवल शोर मचाने से मतलब है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर आप विषय के आधार पर, अपने तर्क के आधार पर कुछ कहना चाहें जब तो हम जवाब देने को तैयार हैं बाकी आप यूं ही सोचें कि नहीं ...(व्यवधान) ऐसा है अगर आप किसी तरीके से हाउस में डिस्कस करना चाहें तो मैं तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष: आप नियम नहीं जानते, नये सदस्य हैं क्या तमाशा लगा रखा है यहां पर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): और इस समस्या का समाधान ....

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं सदन के सभी सदस्यों से ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर यह किसी मोशन के माध्यम से आकर के कोई सवाल जवाब करना चाहें तो हम निश्चित रूप से उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। हम कोशिश करेंगे जो कुछ हमने किया उसके आधार पर उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे लेकिन अगर इसी तरीके से वह समझाना चाहते हैं तो इनकी इच्छा है ...(व्यवधान) ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, अगर इस हाउस को बचाना है तो मैं इस हाउस के सभी सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस आरक्षण ने महज वोट बटोरने के लिए लगातार इस देश में जातियों का विभाजन किया जा रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो मैंने आज से

छह आठ महीने पहले सदन चला था उस समय कहा था, भाई-भाई के खून का प्यासा हो जाएगा और वह बात मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसने करवाया, हम राजनीतिक लोगों ने करवाया, अपने स्वार्थ के लिए करवाया, वोट बटोरने के लिए करवाया और

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर, श्री अतर सिंह भड़ाना एवं श्री रणवीर सिंह गुढा द्वारा वैल में नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान को सबसे आगे आकर के सब को मिलकर के एक संकल्प पारित करना चाहिए कि अगर पिछड़े हुए व्यक्ति को ऊपर उठाना है तो उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसको नौकरी के योग्य बनाओ, मर्जी आए उतना सरकार खर्चा दो । आरक्षण के मामले में ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह राजस्थान की विधान सभा है गुर्जरों की महापंचायत नहीं है।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर, श्री अतर सिंह भड़ाना एवं श्री रणवीर सिंह गुढा द्वारा वैल में नारेबाजी)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर कोई मुद्दा है, बात है तर्क से आइये ना। यहां रोला करने के लिए किसी ने नहीं भेजा, कोई सवाल हो तो जवाब लीजिए आप सरकार से ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, तर्क की गुंजाइश नहीं बची है, अब इस देश के अन्दर वह समय आ गया है ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हैण्डपम्प तो लगा देंगे आपको जहां जरुरत होगी ...(व्यवधान) ज्यादा बोलने की जरुरत नहीं है ...(व्यवधान) आप छोड़ो देवीसिंह की और आपकी बात करिये। यूं ही रोला कर रहे हैं जबर्दस्ती कोई बात है। मुद्दा है तो पूछिये आप, सरकार हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): राजनीतिक लोग, जिसमें मैं भी पीछे नहीं हूं, अपना हित साधने के लिए जातियों में आरक्षण की आग लगाकर के ...(व्यवधान) बांटने का, भाई से भाई को जुदा करने का काम हम लोग कर रहे हैं । ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हैण्डपम्प सारा ही लगा दूंगा मैं तो

(श्री सांवर लाल)

ज्यादा बकवास करने की जरुरत नहीं है। हैण्डपम्प, हैण्डपम्प ...(व्यवधान) समय खराब कर रहे हैं।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर, श्री अतर सिंह भड़ाना एवं श्री रणवीर सिंह गुढा द्वारा वैल में नारेबाजी)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें एक संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार को भिजवाना चाहिए। पिछड़े हुए लोग, दबे हुए लोग चाहे किसी भी वर्ग के हों....

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह लोकतांत्रिक तरीके से मर्यादाहीन आचरण कर रहे हैं माननीय सदस्य, 195 सदस्यों का समय खराब कर रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उनको पढ़ाओ, लिखाओ, सहायता दो और भगवान के लिए इस आरक्षण को बंद करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस देश के आगे अब कोई चारा नहीं बचा है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): करो ना, वहां बैठकर के यूं ही रोला करने से काम नहीं चलेगा और कोई सवाल है तो जवाब देंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, जब गोविन्द सिंहजी गुर्जर राज्य में मंत्री थे तब उन्होंने कहा कि गुर्जर आरक्षण केन्द्र से मांगें, यह देवीसिंह गुर्जर ने बोला था।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सभी सदस्यों से पुन: निवेदन कर रहा हूं कि आप राजनीति से ऊपर उठकर के इस देश को और प्रदेश को बचाने के लिए यह संकल्प पारित कर केन्द्र सरकार को भेजने का काम करें। इसके साथ-साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस देश को बचाना है, विकास करना है तो एक बच्चे की पाबंदी लगाई जाए कि हिन्दुस्तान में कोई भी व्यक्ति एक बच्चे से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। हम महज इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमें वोट का खतरा है, हम आइन्दा जीत कर नहीं आयेंगे। शहीदों की आत्मा रो रही है, यह देश जब आजाद हुआ था तो शहीदों का यह सपना था कि भारत पुन: सोने की चिडिया कहलाए और इस गति से जिस दिशा पर यह देश, प्रदेश चल रहा है ....

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह गोविन्द सिंह गुर्जर जब मंत्री थे, जब

राजस्थान में मंत्री थे तब उन्होंने कहा कि गुर्जर केन्द्र से मांगें आरक्षण, यह गोविन्द सिंह गुर्जर का स्टेटमैंट है। यह कहा था अध्यक्ष महोदय, यह किस मुंह से गोविन्द सिंहजी गुर्जर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तब यह खुद मंत्री थे राजस्थान में तब इन्होंने कहा था कि गुर्जरों को यदि आरक्षण चाहिए तो वह केन्द्र से मांगें, यह उनकी प्रेस वार्ता की कटिंग है गोविन्द सिंहजी गुर्जर की जब वह खुद मंत्री थे और वह नहीं सुनें, यह नाटक कर रहे हैं नहीं सुनने का। यह गोविन्द सिंहजी गुर्जर जब राज्य में मंत्री थे तब उन्होंने यह स्टेटमैंट दिया था प्रेस वार्ता में यह बोला था अध्यक्ष महोदय।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर, श्री अतर सिंह भड़ाना एवं श्री रणवीर सिंह गुढा द्वारा वैल में नारेबाजी)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह मैं बहुत छोटे से मुंह से बड़ी बात कर रहा हूं। मैंने पिछले हाउस में कहा ...(व्यवधान) मैं और निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस देश को, प्रदेश को बचाना है तो सब मिलकर के मेरे को तो रोकना पड़े, नहीं पड़े, अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए, किसी के हितैषी नहीं हैं। अपने वोट बटोरने के लिए जाति के अगवा बनकर खड़े हो जाते हैं ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह बात जो यह आरक्षण की मांग कर रहे हैं मैं इनके सामने बताना चाहता हूं कि जब यह खुद राज्य में मंत्री थे, यह गोविन्द सिंह गुर्जर मंत्री थे तब इन्होंने यह प्रेस वार्ता करके कहा गुर्जरों को यदि आरक्षण चाहिए तो केन्द्र से मांगो और किस बात का आरक्षण मांग रहे हो। राज्य सरकार ने आरक्षण दे दिया है आपको फिर और क्या चाहिए। यह गोविन्द सिंहजी गुर्जर ने कहा था। बच्चों को पढ़ाओ और आज आरक्षण ...(व्यवधान) यह गोविन्द सिंहजी गुर्जर का स्टेटमैंट है जब यह राज्य में मंत्री थे। अब वह नहीं सुनने का ढोंग कर रहे हैं, वह सुनते सब हैं लेकिन अब नहीं सुनने का नाटक कर रहे हैं, जान बूझकर बहरे बनने का नाटक कर रहे हैं। इनको पता है कि उन्होंने क्या कहा था। यह रही उनकी प्रेस वार्ता, तीन-तीन मंत्रियों ने प्रेस वार्ता की थी जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में तो तीन मंत्री थे गोविन्द सिंह गुर्जर के साथ और उन्होंने यह खुलकर के कहा था कि गुर्जरों को आरक्षण नहीं चाहिए, गुर्जर आरक्षण नहीं मांगें। यह गोविन्द सिंह गुर्जर ने कहा था, यह स्टेटमैंट है, यह प्रेस वार्ता है, आपकी खुद की प्रेस वार्ता है । आप चाहो तो मैं सदन के पटल

(श्री मदन राठौड़)

पर रख सकता हूं। यह रहा आपका स्टेटमैंट खुल्लम खुल्ला, गुर्जर केन्द्र से मांगे आरक्षण और प्रेस वार्ता में आपने कहा था, आज आप किस मुंह से बोल रहे हो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ओ बी सी के आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब जब राज्य सरकार ने ओ.बी.सी. को आरक्षण दे दिया तो फिर किस प्रकार के आरक्षण की मांग आप कर रहे हो। आपने कहा है। गोविन्द सिंहजी जब मंत्री थे...(व्यवधान) तब आपने यह कहा है। आज आपकी भाषा बदल गयी (व्यवधान) यह दोहरी नीति आप अपना रहे हो। यह दोहरा चरित्र आपका है। यह घटिया चरित्र आप प्रदर्शित कर रहे हो। दो प्रकार की भाषा आप बोल रहे हो। इन्होंने साफ कह तीन मंत्रियों ने मांगा है इन सबके... (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर, श्री अतर सिंह भड़ाना एवं श्री रणवीर सिंह गुढा द्वारा वैल में नारेबाजी)

श्री सुरेश मीणा (करौली): अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा है, गुर्जरों की महापंचायत नहीं है। यह गुर्जरों की पंचायत नहीं है, यह विधान सभा है। इनको बाहर निकाला जाए। यह विधान सभा नहीं चलने दे रहे हैं। ...(व्यवधान) यह गुर्जरों की पंचायत नहीं है, विधान सभा है। इनको बाहर निकाला जाए। विधान सभा है, गुर्जरों की पंचायत नहीं है यहां। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पंचायती राज मंत्री थे गोविन्द सिंहजी गुर्जर उनकी ...(व्यवधान) जन सम्पर्क कार्यालय, सचिवालय में ..(व्यवधान) इनको आरक्षण नहीं चाहिये। आज किस बात के आरक्षण की मांग आप कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): सब कुछ बपौती नहीं है यहां ...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): इन लोगों से पैसा लिया जाए कितना नुकसान हुआ है...(व्यवधान) यह असम्भव को सम्भव करना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुन: मैं इस देश और प्रदेश के हित की बात सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आओ आप और हम सब मिलकर ..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यदि यह सच है तो खुद गोविन्द सिंह जी ..(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): यह वोटों की राजनीति नहीं चलेगी। यह वोटों की राजनीति है...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): कानून और इंसाफ को तोड़ने वाले लोग ..(व्यवधान) मैं नहीं मांग रहा ...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): यह आरक्षण का मुद्दा क्यों, वोट बटोरना... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विधान सभा की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.21 बजे, 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(शेष तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर तथा अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(पुन: समवेत् होने पर)

(समय : 12.00 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं शोकाभिव्यक्ति पेश कर रही हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रही हूं, शोकाभिव्यक्ति कर रही हूं, शोकाभिव्यक्ति हो रही है। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री काशीनाथ गुप्त एवं श्री मांगीलाल रिणवा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

काशीनाथ गुप्त, श्री पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री काशीनाथ गुप्त का जन्म दिनांक 28 नवम्बर, 1917

(श्री अध्यक्ष)

को भरतपुर जिले के कुम्हेर कस्बे में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री काशीनाथ गुप्त छठी राजस्थान विधान सभा में कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुडी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

गांधीवादी विचारों से प्रेरित रहे श्री गुप्त ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1939 एवं 1942 में हुए आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा दो वर्ष तक जेल में बंदी रहे। आपातकाल के दौरान आपको वर्ष 1975 में मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया। पत्रकारिता में रूचि रखने वाले श्री गुप्त पत्रकारों के अनेक संगठनों से जुडे रहे। आप अनेक ग्रन्थों में सम्पादक मंडल के सदस्य भी रहे।

श्री काशीनाथ गुप्त का दिनांक 17 सितम्बर, 2007 को निधन हो गया।

मांगीलाल रिणवा, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री मांगीलाल रिणवा का जन्म वर्ष 1925 में पाली जिले के बर ग्राम में हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री मांगीलाल रिणवा तीसरी राजस्थान विधान सभा में रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे। विकास कार्यों में रूचि रखने वाले श्री रिणवा लोक विकास के मुद्दों के प्रति सदैव सजग रहते थे।

श्री रिणवा अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1956 से 1958 तक ग्राम पंचायत, बर के सरपंच, वर्ष 1958 से 1959 तक रायपुर तहसील के सरपंच तथा वर्ष 1959 से 1960 तक पंचायत समिति, रायपुर के प्रधान रहे। आप पाली जिला परिषद के सदस्य भी रहे।

श्री मांगीलाल रिणवा का दिनांक 29 जून, 2007 को निधन हो गया।

मैं, अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी जारी)

अनुपस्थिति-अनुमति

डा. किरोड़ी लाल मीणा, सदस्य को 18.9.2007 से सत्रांत तक अनुपस्थित रहने की अनुमति

मुझे सदन को सूचित करना है कि डा. किरोड़ी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 18 सितम्बर, 2007 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी जारी)

श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य को 18.9.2007 से सत्रांत तक अनुपस्थित रहने की अनुमति

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य, विधान सभा ने विदेश यात्रा पर जाने के कारण दिनांक 18 सितम्बर, 2007 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य की ओर से अंत्योदय अन्न योजनान्तर्गत गैर बीपीएल श्रेणी से शामिल नव चयनित परिवारों को सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध में।
2. श्री बृजकिशोर शर्मा एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में गृह

(श्री अध्यक्ष)

कर समाप्त कर नगरीय विकास कर लगाने से जनता में व्याप्त रोष के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। डा. चन्द्रशेखर बैद ने जो 295 दिया है उस पर बोल सकेंगे उसमें अपनी यह बात भी कह सकेंगे और बृजकिशोर शर्मा को मैं दो मिनट का समय दे दूंगी।

3. श्री संयम लोढ़ा एवं 17 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के एक मंत्री को राजसमन्द के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग द्वारा दोष सिद्ध करार देने के संबंध में।
4. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति की प्रदेश सूची में सम्मिलित करने के लिए हुए आंदोलनों के दौरान 26 व्यक्तियों की पुलिस की गोली से हुई मौत के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्तावों से संबंधित विषय न्यायालयों के विचाराधीन हैं अतः न्यायाधीन होने के कारण अनुमति देने में असमर्थ हूं।

1. श्री खुशवीर सिंह एवं श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से झालावाड़ व रावतभाटा में अज्ञात बीमारी से 29,000 भेड़ों के मरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2. श्री हरिमोहन शर्मा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से बी.पी.एल परिवारों को बी.पी.एल. कार्ड एवं मेडिकल रिलीफ जारी नहीं करने से हजारों लोगों की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
3. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में सेना के संयुक्त शस्त्र प्रशिक्षण सुविधा हेतु अवाप्ति हेतु चिन्हित 61 गांवों में विकास कार्यों पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री खुशवीर सिंह, श्री हरिमोहन शर्मा एवं श्री वीरेन्द्र बेनीवाल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी जारी)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं जो सदन प्रस्ताव दिया है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सदन का दुरूपयोग हो रहा है। इस तरह के आरोप तोप-तमंचों की सरकार, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं ...(व्यवधान) यह किस तरह की बात कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हाउस आर्डर में है, सरकार जवाब देने को तैयार है ...(व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष: 1. श्री एमादुद्दीन अहमद खान, सदस्य की ओर से दिसम्बर, 2006 की हज यात्रा में कुर्रा में असफल होने के कारण नहीं भेजे जा सके यात्रियों की राशि तुरंत लौटाने के संबंध में।

2. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के पुरातत्वीय महत्व के जलाशयों का जीर्णोद्वार, संरक्षण एवं विकास करने के संबंध में।

3. श्री राकेश मेघवाल, सदस्य की ओर से तीर्थराज पुष्कर से ग्राम कडैल, बस्सी होते हुए परबतसर बिदियाद मकराना सड़क को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित करने के संबंध में।

4. डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य की ओर से बी.पी.एल. सूची में चयनित गरीब परिवारों के राशन कार्ड एवं मेडिकल रिलीफ कार्ड बनाकर उन्हें लाभान्वित करने के संबंध में।

5. श्री बृजकिशोर शर्मा, सदस्य की ओर से दौसा रेलवे स्टेशन के नजदीक के रेलवे फाटक पर पुल का निर्माण करने के संबंध में।

6. श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के कतिपय विद्यालयों को माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री अतर सिंह भडाना, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (श्रीगंगानगर) द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

...(व्यवधान) सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य डाल रहे हैं बाधा। सत्ता पक्ष के देखने की बात है कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य इस प्रकार से बाधा डाल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आसन के देखने की बात है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः 7. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम दीनसर, जालवाली, बराला आदि गांवों का पुनः सीमा ज्ञान करवाकर भूमि सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करने के सम्बन्ध में।

8. श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से विद्युत उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रोनिक मीटरों से हो रही हानि एवं परेशानी के सम्बन्ध में।

9. श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, सदस्य की ओर से गंगापुरसिटी में विद्युत विभाग द्वारा दोषपूर्ण नए इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाने के सम्बन्ध में।

10. श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनपोल की विद्याधर नगर कॉलोनी के सेक्टर 4 से लगती भूमि पर कचरा डिपो खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. डा. जालमसिंह रावलोत, सदस्य की ओर से बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले की पेयजल योजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के सम्बन्ध में।

12. श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से श्री परशुरामपुरिया राजस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय, सीकर की व्यवस्था के समबन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री बृजकिशोर शर्मा। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव पेश किए हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, पहले इन माननीय सदस्यों से कहें तो सही कि अपने-अपने स्थान पर जाएं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री खुशवीर सिंह।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐसे मंत्री जिनको न्यायालय ने दोष सिद्ध किया है और 6 महीने के कारावास से दण्डित किया है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैं सत्ता पक्ष के माननीय मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन कर रही हूं कि सत्ता पक्ष के विधायक यहां पर इस प्रकार से वैल में आकर नारे लगाए, मैं सत्ता पक्ष के माननीय मुख्य सचेतक महोदय को कह रही हूं। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): संसदीय कार्य मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनमें से एक माननीय सदस्य निष्कासित हैं और दूसरे माननीय सदस्य निलम्बित हैं। यह भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य नहीं हैं इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पर नियंत्रण आप ही करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य नहीं हैं इसलिए नियंत्रण का काम तो आप करो। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): निष्कासित नहीं है, निलम्बित है, निष्कासित नहीं है। ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, निलम्बित सदस्य पर भी पार्टी व्हिप लागू होता है, आप किस मुंह से बोल रहे हैं। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, निलम्बित सदस्य पर भी पार्टी व्हिप लागू होता है। आप सदन को चलाना नहीं चाहते। आप सदन में धमाल पट्टी करवा रहे हैं। ...(व्यवधान)

(अध्यक्ष पीठ द्वारा संकेत से अंकित न करने के निर्देश)

श्री अध्यक्षः ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है यहां पर।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री अध्यक्षः श्री खुशवीर सिंह, क्या आप बोलना नहीं चाहते ?

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य श्री खुशवीर सिंह से पूछना चाहती हूं कि क्या आप बोलना नहीं चाहते? ...(व्यवधान) यदि आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस आर्डर में नहीं है, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस आर्डर में नहीं है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस आर्डर में नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

झालावाड़ व रावतभाटा में अज्ञात बीमारी से 29000 भेड़ों के मरने से उत्पन्न स्थिति

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में जिला कोटा, रावत भाटा, झालावाड़ जिला, पश्चिमी राजस्थान के पशुपालकों के लगभग 30 हजार भेड़ और बकरियां अज्ञात बीमारी से मर गई हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस को पहले आर्डर में लाइए फिर बोलूं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं वह तो सुन लीजिए। मिस्टर गुंजल, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, वह कुछ कहना चाह रहे हैं, वह तो सुन लीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि सदन को संचालित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी और शक्ति आपके अंदर निहित है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हाउस को इन आर्डर लें और कार्यवाही चालू करवाइए अन्यथा यह सारा दिन बरबाद हो जाएगा। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाउस को इन आर्डर करने के निर्देश प्रदान करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ-कुछ कहना चाह रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लो क्या कह रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, आप बैठ क्यों गए? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जब लीडर आफ द हाउस, सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता खड़े होते हैं तो सदन शांतिपूर्वक सुनता है उनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। ...(व्यवधान) माननीय सदस्यगण। माननीय श्री प्रहलाद गुंजल। माननीय सुरेन्द्र सिंह राठौड़, आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है, आसन आपसे कुछ कहना चाह रहा है। (व्यवधान) आसन आपसे कुछ कहना चाहता है ...(व्यवधान) आसन पांवों पर है, आसन कुछ कहना चाहता है। इस सदन में आज दिन तक ...(व्यवधान) बीच में नहीं बोलेंगे। इस सदन में ...(व्यवधान) वे भी नहीं बोलेंगे। इस सदन के अंदर इस सदन की कुछ परम्पराएं रही हैं। इस सदन के कुछ नियम है। वेल में आने का अधिकार है, लेकिन वेल में आकर हाथ मटका-मटका कर इस प्रकार से चेलेंज करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ...(व्यवधान) जो वेल है ...(व्यवधान) बीच में नहीं, मिस्टर प्रहलाद गुंजल, प्लीज। आप पहले आसन की बात सुनेंगे। (व्यवधान) आप आसन की बात सुनेंगे। आपको आसन की बात सुननी पड़ेगी। आसन की बात सुननी पड़ेगी आपको। ...(व्यवधान) आप आसन को सुनना नहीं चाहते। आसन को भी नहीं सुनना चाहते आप। ...(व्यवधान) आसन को नहीं सुनना चाहते? सुनिए। वेल का कायदा यह है कि जब आप वेल में आते हैं तो जो टेबल है इस टेबल को क्रास करके नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते। इधर जाने का मतलब है ललकारना। आप जिस तरीके से हाथ उठा-उठा कर जिस प्रकार से बात करें यह बात नियमों के विपरीत है। ...(व्यवधान) यह नियमों के विपरीत है। आप चारों पहली बार जीतकर आये हैं इसलिए मैं बर्दाश्त कर रही हूं। आपको नियमों की जानकारी नहीं है इसलिए मैं बर्दाश्त कर रही हूं, वरना आपको इस तरीके से कोई अधिकार नहीं है। सदन का समय बर्बाद करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। 195 सदस्य यहां बैठे हैं और 4 माननीय सदस्य नारे लगा-लगाकर सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दें, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका जवाब नहीं आने दें, लोगों के स्थगन प्रस्ताव हैं, लोगों की पर्चियां हैं, उन पर आप चर्चा नहीं होने दें, आप चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं आप? ...(व्यवधान) मैं सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के नेता तथा सत्ता पक्ष के सभी माननीय मंत्रीगण, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं इसलिए सभी (व्यवधान) बीच में नहीं बोलेंगे आप ...(व्यवधान) आप पहली बार आये हैं, पहले नियमों की जानकारी करिए, पढ़िए यहां के नियम क्या हैं, इसके बाद बात करिएगा। नियम पढ़िए। ...(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.26 बजे 13.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

(समय: 13.30 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राज्य के एक मंत्री दोष सिद्ध करार देने के सम्बन्ध में

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप सदन चलाएंगे कि नहीं? ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उनको सज़ा दी है, उनसे तत्काल इस्तीफा लिया जाना चाहिए। ...(व्यवधान) सुरेन्द्र सिंह राठौड़ से तुरन्त इस्तीफा लेना चाहिए, 6 महीने की सज़ा हो चुकी है। ...(व्यवधान) उनको 6 महीने की सज़ा हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा जो स्थगन प्रस्ताव है उस पर चर्चा कराई जाए और सुरेन्द्र सिंह राठौड़ को 6 महीने की सज़ा हो चुकी है उनका तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। ...(व्यवधान)

(सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

इनको 6 महीने की सज़ा हो चुकी है,

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आधा दर्जन मंत्रियों के, कोई अपनी बेटी के नम्बर बढ़वा रहा है। ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 6 महीने की सज़ा हुई है उनको। ...(व्यवधान) आपके नेताओं ने स्वयं ने यह बातें कहीं हैं। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कई अपने बेटों के माध्यम से बेरोजगारों की भर्ती कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जिनको न्यायालय ने सज़ा दे दी है उनको इस्तीफा देना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूरी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अदालत का फैसला आ चुका है। ...(व्यवधान)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ...(व्यवधान) 295 प्रस्ताव पढ़े हुए माने जाएंगे। ...(व्यवधान)

(पढ़े हुए माने गये प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उसका कोई विचार सदन में नहीं किया जा सकता। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन चलने दीजिए आपकी बात सुन ली जाएगी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस पर किसी तरह का विचार नहीं हो सकता। जो मामला सब-ज्यूडिस है उस संबंध में कोई बात यहां नहीं हो सकती। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से लिये जाने वाले विषय कल लिए जाएंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

उपनिवेशन विभाग

राजस्व मंत्री ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित 13 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या एफ.4(19)कोल./1999/1 दिनांक 28.4.2007 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में भूमि आबंटन एवं विक्रय) नियम 1975 में संशोधन किया गया है ।

2- अधिसूचना संख्या एफ.4(19)कोल./1999/2 दिनांक 28.4.2007 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना में सरकारी भूमि आबंटन एवं विक्रय) नियम 1955 में संशोधन किया गया है ।

(श्री रामनारायण डूडी)

3- अधिसूचना संख्या एफ.4(27)उप./84 दिनांक 3.5.2007 जिसके द्वारा भूमि की अंतरणों के विधि मान्यकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की कालावधि दिनांक 31.3.2008 तक बढ़ाई गई है ।

4- अधिसूचना संख्या एफ.4(11)कोल./97/1 दिनांक 18.5.2007 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि के आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ।

5- अधिसूचना संख्या एफ.4(11)कोल./97/2 दिनांक 18.5.2007 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग केनाल क्षेत्र में स्थाई भूमि आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ।

6- अधिसूचना संख्या एफ.4(16)कोल./1999 दिनांक 26.5.2007 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ।

7- अधिसूचना संख्या एफ.4(2)कोल./2005 दिनांक 28.5.2007 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ।

8- अधिसूचना संख्या एफ.4(2)कोल./2007/1 दिनांक 23.6.2007 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग केनाल क्षेत्र में स्थाई भूमि आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ।

9- अधिसूचना संख्या एफ.4(2)कोल./2007/1 दिनांक 23.6.2007 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा प्रोजेक्ट क्षेत्र में सरकारी भूमि आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है ।

10- अधिसूचना संख्या एफ.4(2)कोल./2007/1 दिनांक 10.7.2007 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग केनाल क्षेत्र में स्थाई भूमि आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ।

11- अधिसूचना संख्या एफ.4(2)कोल./2007/1 दिनांक 10.7.2007 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा प्रोजेक्ट क्षेत्र में सरकारी भूमि के आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

12- अधिसूचना संख्या एफ.4(3)कोल./1999/1 दिनांक 11.7.2007 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग केनाल क्षेत्र में स्थाई भूमि आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया हैं ।

(श्री रामनारायण डूडी)

13- अधिसूचना संख्या एफ.4(3)कोल./1999/2 दिनांक 11.7.2007 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा प्रोजेक्ट क्षेत्र में सरकारी भूमि आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है ।

पंचायती राज विभाग

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालूलाल गुर्जर।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की निम्नांकित 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या एफ.4(7)पीआरडी/लॉ/रूल-एमेन्ड/07/1166 दिनांक 9.4.2007 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में संशोधन किये गये हैं ।

2- अधिसूचना संख्या एफ.4(11)पीआरडी/लॉ/रूल-एमेन्ड/07/2078 दिनांक 18.6.2007 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में संशोधन किये गये हैं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह सरकार सदन का सामना क्यों नहीं करना चाहती?

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री लोक सेवा आयोग का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार एक दागी मंत्री को बचाने के लिए इस सदन का सामना नहीं करना चाहती। मेरे पास एक-एक इनका कागज मौजूद है, पार्लियामेंट के अन्दर इनके नेताओं ने क्या कहा और आज जब इनकी सरकार के ऊपर यह आरोप है कि एक मंत्री जिसको अदालत ने सज़ा सुनाई हुई है वह इस सरकार में मंत्री बन कर के बैठा हुआ है। एक सरकार का मुलाजिम अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज होता है, चालान होता है उसको सस्पैंड किया जाता है फिर ये किस मुंह से मंत्री रह सकते हैं ?

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन

2005-06

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन 2005-06 सदन की मेज पर रखता हूं। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पंचायत राज मंत्री राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 12(3) एफ के अन्तर्गत राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 सदन की मेज पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 12(3)एफ के अन्तर्गत राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 6वां वर्ष 2005-06

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती उषा पूनिया। पर्यटन राज्य मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेंट

(श्री उपाध्यक्ष)

कॉरपोरेशन लिमिटेड का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 सदन की मेज पर रखेंगी।

राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05

श्रीमती उषा पूनिया (राज्य मंत्री, पर्यटन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 सदन की मेज पर रखती हूं। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में व्यवधान नहीं डालें। श्री महावीर प्रसाद जैन।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों को 6-6 महीने की सज़ा हो जाए और उसके बाद भी मोरल ग्राउंड पर इस्तीफा नहीं दें, ऐसा हो नहीं सकता।

(सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र. सं. 19)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

(सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: क्या यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गयी।

(सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-जल विकास और प्रबंध का विनियमन और नियंत्रण विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्या-13) पर

(श्री सांवर लाल)

गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा, सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2007 समिति के पंचम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2007 (क्र. सं. 5)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2007 समिति के पंचम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. सी. पी. जोशी, सभापति, जन लेखा समिति 2007-08 समिति के 28 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे। ...(व्यवधान)

(सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

डा. एन. एस. गुर्जर।

प्राक्कलन 'ख' समिति (क्र. सं. 8 से 11)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2007-08 के लिए प्राक्कलन समिति 'ख' के निम्नांकित 4 प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. सहकारिता विभाग से संबंधित कार्य-कलापों एवं गतिविधियों पर आधारित समिति का आठवां प्रतिवेदन ।
2. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्य-कलापों एवं गतिविधियों पर आधारित समिति का नवां प्रतिवेदन।

(डा. एस.एन. गुर्जर)

3. कृषि विपणन (उपज मण्डी) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2005-06 के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का दसवां प्रतिवेदन ।

4. श्रम विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2005-06 के छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन ।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.39 बजे आधे घंटे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 14.09 बजे)

(पुन: समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: विराजो, विराजो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमारे स्थगन प्रस्ताव में सुरेन्द्र सिंह राठौड़ को राजसमन्द के अधीनस्थ न्यायालय ने 6 महीने की सज़ा और दो हजार रुपये जुर्माना कर दिया। इनको नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन के द्वारा दी गई व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। एक बार व्यवस्था हो गई उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी का अधिकार किसी भी माननीय सदस्य को नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने अपनी नाबालिग लड़कियों के नाम पर खानें अलॉट करायी हैं। ऐसे अनैतिक आचरण वाले मंत्री को मंत्री पद पर रहने का कोई हक नहीं है। उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए नहीं तो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। (व्यवधान) खान सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत उनको सज़ा दी गई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय कल्ला साहब, आप हाउस नहीं चलाना चाहते? शांतिपूर्वक चलाइये, आ जाएगी आपकी बात।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उनको नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उनको इस्तीफा देना चाहिए नहीं तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री अतर सिंह भडाना एवं श्री रणवीर सिंह गुढा द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

अनुपूरक अनुदान (2007-08) की मांगों का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय कार्य। श्री वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री, अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 2007-08 का उपस्थापन करेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, वर्ष 2007-08 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मतदान

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की मांगों का पारण

मांग संख्या- 3 सचिवालय

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-3 सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–5 प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 83,43,000/- (तिरासी लाख तियालीस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–9 वन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-9 वन के सम्बन्ध

(श्री उपाध्यक्ष)

में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–11 विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–12 अन्य कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-12 अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–16 पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,65,17,000/- (दस करोड़ पैंसठ लाख सत्रह हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–17 कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय

(श्री उपाध्यक्ष)

के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 9,99,000/- (नौ लाख निन्यानवे हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–20 आवास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 12,00,00,000/- (बारह करोड़ रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 20,06,000/- (बीस लाख छह हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में

(श्री उपाध्यक्ष)

किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 25,56,83,000/- (पच्चीस करोड़ छप्पन लाख तिरासी हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 70,06,000/- (सत्तर लाख छह हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/-(चार हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-32 नागरिक

(श्री उपाध्यक्ष)

आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,12,000/-(चौबीस लाख बारह हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,000/- (ग्यारह हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-37 कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,10,000/- (एक लाख दस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में नारेबाजी)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,75,03,000/- (पैंतीस करोड़ पचहत्तर लाख तीन हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-42 उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/-(चार हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में भयंकर नारेबाजी)

कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। नहीं, आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये।

मांग संख्या-46 सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,85,03,000/- (उनचास करोड़ पिचासी लाख तीन हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में नारेबाजी एवं व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007

प्रभारी मंत्री, राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करता हूं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में नारेबाजी एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहें तो, नहीं, बोलिये आप। (व्यवधान) आपको इजाजत देंगे, आप बोलिये पहले। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कोई बोलना चाहें तो बोलिये।

(प्रतिपक्ष के एवं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में आकर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(व्यवधान) बन्द नहीं होगा। हाउस बन्द नहीं होगा। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) बन्द नहीं करेंगे आपके कहने से। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। कैसे करेंगे आपके कहने से इस तरह से बन्द? आप बन्द कराने वाले कौन होते हो? (व्यवधान) माननीय सदस्य।

(प्रतिपक्ष के एवं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में आकर व्यवधान)

सदन की कार्यवाही एक घंटे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.27 बजे, एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 15.27 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है...(व्यवधान) आपसे निवेदन यह है...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ः उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन इस विधान सभा के लिए शर्मनाक दिन है, प्रतिपक्ष का जिस तरह का आचरण मर्यादाहीन हो चुका है...

श्री उपाध्यक्षः कि आप शांति से हाउस चलने दीजिये। आपसे निवेदन है कि शांति से हाउस चलने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ः आज इस सदन की गरिमा को जिस तरह तार-तार किया है प्रतिपक्ष ने, उपाध्यक्ष महोदय, यह इस सदन के हर सदस्य के लिए शर्म की बात है...

श्री उपाध्यक्षः मेरा आपसे निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कीजिये और शांति से काम चलने दीजिये। (व्यवधान) और जिस तरह का व्यवहार आपने किया है वह अच्छा नहीं है और आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान) यह पहली बार राजस्थान की विधान सभा के अंदर आप जैसे वरिष्ठ सदस्यों ने, यह सदन की गरिमा को घटाया है आपने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन राजस्थान की विधान सभा का शर्मसार दिन है, जिस तरह की...

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप नहीं चलाना चाहते, मत चलाइये। एक घंटे, आप हाउस नहीं चलाना चाहते हैं, मत चलाओ। सदन की कार्यवाही एक घंटा, साढ़े चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.28 बजे दिनांक 19 सितम्बर 2007 के 16.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 16.30 बजे)

(पुन: समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: हाउस चलाने का मूड़ नहीं है क्या? हाउस शांति से... (व्यवधान) तो बात आप शांतिपूर्वक कहेंगे। (व्यवधान) देखो ऐसा है कि शांतिपूर्वक... (व्यवधान) नाराज होने का कोई प्रश्न नहीं है, कृपया बैठकर के... (व्यवधान) बैठकर के तय करेंगे, बैठ के बात करेंगे... (व्यवधान) बात करना... (व्यवधान)।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरा होने तक बढ़ा दिया जाए। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही (व्यवधान) आपसे बात करेंगे, बैठकर के बात करेंगे। ...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही 4 बजकर 55 मिनट तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.32 बजे 16.55 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 16.55 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: ठहरो, शांत रहो। शांत रहो। थोड़ी शांति रखो। शांति रखो तो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, शांति रखो।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

सदन का समय 17.55 बजे तक स्थगित किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.55 बजे, दिनांक 19 सितम्बर 2007 17.55 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 17.55 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक 18.15 बजे तक स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.56 बजे, दिनांक 19 सितम्बर 2007 18.15 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

(समय : 18.15 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(श्री रणवीर सिंह गुढा व श्री प्रहलाद गुंजल द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग बार -बार ऐसा करते हैं उन्हें बाहर करना चाहिए, तमाशा लगा रखा है । (व्यवधान)

सदस्य का निलम्बन

प्रहलाद गुंजल, रणवीर सिंह गुढा, अतर सिहं भड़ाना, सुरेन्द्र सिंह राठौड़, सर्व श्री का सत्र की शेष अवधि के लिए

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं लगातार सुबह से जो चार माननीय सदस्य इस पूरी सदन की कार्यवाही को हाइजैक करके और कुछ भी कार्य नहीं करने दे रहे हैं (व्यवधान) मैं इन चारों सदस्यों - श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री अतर सिंह भड़ाना और श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर जो गंगानगर से आये हैं इन चारों को कल से जब तक विधान सभा का यह सत्र चलेगा तब तक के लिए विधान सभा से एक्सपेल करती हूं।

सदन की कार्यवाही कल वृहस्पतिवार, दिनांक 20 सितम्बर के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.17 बजे वृहस्पतिवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2007 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोतर

जयपुर में स्पोर्ट्स सिटी निर्माण हेतु कार्य योजना

2. **श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिल्ली हाइवे पर स्पोर्ट्स सिटी बनाने की योजना प्रस्तावित है। यदि हां, तो उक्त सिटी कब तक बना दी जायेगी व नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त स्पोर्ट्स सिटी योजना को विकसित करने के लिए किन-किन फर्मो ने सरकार से जानकारी मांगी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्पोर्ट्स सिटी में कितनी भूमि का उपयोग किस-किस कार्य हेतु किया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर-दिल्ली हाइवे पर स्पोर्ट्स सिटी बनाये जाने की योजना प्रस्तावित है। स्पोर्ट्स सिटी योजना सफल निविदादाता द्वारा भूमि आबंटन की तिथि से 10 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) उक्त स्पोर्ट्स सिटी योजना को विकसित करने के लिये आमंत्रित निविदा में एक एजेन्सी पिंकसिटी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स प्रा. लि. नोयडा ने भाग लिया है। दिनांक 22.2.2007 को आयोजित प्री बिड बैठक में विचार विमर्श हेतु पिंकसिटी स्पोर्ट्स सिटी कॉम्पलेक्स प्रा. लि. नोयडा, एस्सार कन्सट्रक्शन लि. मुम्बई एवं पार्श्वनाथ डवलपर्स लि. जयपुर ने भाग लिया है।

(3) स्पोर्टस सिटी हेतु सफल निविदादाता को वर्तमान में आबंटित की जाने वाली 512 एकड भूमि में से कम से कम 50 प्रतिशत भूमि का उपयोग खेल सम्बन्धी सुविधाओं एवं शेष भूमि अन्य उपयोग हेतु कार्य में ली जावेगी।

मुख्य मंत्री द्वारा घोषित योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

3. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक

(डा. चन्द्रशेखर बैद)
कितने कार्यक्रमों/योजनाओं की घोषणा कब-कब की गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घोषणाओं पर अब तक कितनी राशि व्यय कर लक्ष्यों के विरुद्ध क्या उपलब्धि प्राप्त की गई ? वर्षवार व योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों को निश्चित समयावधि में पूर्ण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) माननीया मुख्य मंत्री द्वारा 1 जनवरी, 2004 से अब तक विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु कुल 244 बजट घोषणाएं की गई जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	**घोषित कार्यक्रमों/योजनाओं की संख्या**
2004-05	16
2005-06	73
2006-07	60
2007-08	95

(2) घोषणावार व्यय की सूचना विभागों से संकलित की जा रही है।

(3) घोषित अधिकांश योजनाएं/कार्यक्रम निरन्तर क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रम/योजनाएं हैं। सरकार इन सभी योजनाओं को उनकी प्रकृति के अनुरूप चालू रखने का विचार रखती है।

नगर निगम कोटा द्वारा संचालित गौशाला में व्याप्त अव्यवस्था/ अनियमितताएं

4. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर की सडकों पर से लावारिस पशुओं को पकडने व गौशालाओं के संचालन का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो इस कार्य में प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय की जाती है तथा इस कार्य हेतु कितने स्थाई व अस्थाई कर्मचारी नियुक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह)

(2) वर्ष 2007-2008 में कुल कितने लावारिस पशुओं को कोटा शहर में पकड़ा गया ? प्रतिमाह पकड़े गये पशुओं की सूची, शहरी सीमा में पशुओं को रखने की व उनको खुला सड़कों पर घूमने पर मालिक को दण्डित करने की कानूनी व्यवस्था क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गौशालाओं में अव्यवस्था के कारण सैकडों गायें मरने के उपरान्त निगम ने एक हजार से अधिक गायें मुकन्दरा नेशनल पार्क में अवैधानिक रूप से वन भूमि में संचालित गिरधर गौशाला को सुपुर्द की गई ? यदि हां, तो वन विभाग से अनुमति प्राप्त किये बिना गिरधर गौशाला को गायें किस आदेश व किन शर्तो के साथ सुपुर्द की गई ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गिरधर गौशाला पूर्ण रूप से अव्यवस्थित होने के कारण वहां बड़ी संख्या में गायों के मरने की सूचना प्राप्त होने पर निगम द्वारा पुनः वहां से गायों को कोटा निगम की गौशालाओं में मंगवाया गया है ? यदि हां, तो गत छह माह में कितनी गायें वहां भिजवाई गई व कितनी गायें मरी, कितनी लापता तथा कितनी लौटाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि गिरधर गौशाला से पूरी गायें प्राप्त नहीं होने पर निगम द्वारा कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2006-07 में लावारिस पशुओं को पकडने के लिये 10,12,080/- रुपये और गौशाला संचालन पर 48,57,252/- रुपये व्यय किये गये। वर्ष 2007-08 में 31 अगस्त, 2007 तक आवारा पशुओं को पकडने के लिये 4,40,650/- रुपये तथा गौशाला संचालन पर 28,47,907/- रुपये व्यय किये गए।

आवारा पशुओं को पकडने के लिये 6 स्थाई कार्मिक कार्यरत है। नगर निगम कोटा के 3 कायन हाऊस व दो गौशालाओं के संचालन के लिये 15 स्थाई कर्मचारी नियुक्त है। अस्थाई कर्मचारी कोई नहीं है। दोनों गौशालाओं पर 9 सुरक्षा कर्मी व 24 मजदूर संविदा के आधार पर रखे गये हैं।

(2) वित्तीय वर्ष 2007-08 में 31 अगस्त, 2007 तक नगर निगम

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

कोटा द्वारा कुल 1901 लावारिस पशुओं को पकडा गया, जिनका माहवार विवरण निम्नानुसार है :-

माह	पशुओं की संख्या
अप्रैल, 2007	548
मई, 2007	227
जून, 2007	19
जुलाई, 2007	305
अगस्त, 2007	802

शहरी सीमा में पशुओं को खुला सड़कों पर घूमने पर पशु मालिकों को दण्डित करने के निम्न कानूनी प्रावधान है :-

1. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 229 व 232 में पशु मालिकों से 25 रुपये तक का जुर्माना वसूल करने का प्रावधान है।

2. कैटल ट्रैटपास एक्ट, 1871 (सैन्ट्रल एक्ट, 1871) में भी जुर्माना व चराई पशु मालिकों से वसूल किये जाने का प्रावधान है।

(3) जी नहीं। श्री गिरधर गौ सेवा समिति को नगर निगम कोटा की गौशालाओं से प्रशासनिक कारणों से एवं समिति के अनुरोध पर 800 गायें दिनांक 26.05.2007 को बिना किसी शर्त के सौंपी गई। संबंधित आदेश दिनांक 25.05.2007 की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

किसी पंजीकृत गौशाला को गायें सुपुर्द करने से पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।

(4) नगर निगम कोटा के अधिकारियों द्वारा गौ सेवा समिति गिरधरपुरा द्वारा संचालित गौशाला का निरीक्षण करने पर गौ-वंश के लिये शैड व उपचार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं पाए जाने पर, नगर निगम के पत्र दिनांक 09.07.2007 द्वारा सौंपी गई 800 गायों को वापस लौटाने हेतु समिति को लिखा गया।

समिति को सौंपी गई गायों में से 350 गायें दिनांक 03.08.2007 को वापस लौटा दी तथा शेष गौ-वंश को वापस लौटाने के लिये कुछ समय चाहा है।

(स्वायत शासन राज्य मंत्री)

(5) गिरधर गौ सेवा समिति द्वारा पूरी गायें नहीं लौटाने पर, अध्यक्ष गिरधर गौ सेवा समिति को दिनांक 10.08.2007 व 18.08.2007 को स्मरण पत्र दिये गये एवं गौ-वंश की स्थिति की जांच हेतु निगम द्वारा एक जांच दल गठित किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-'अ'

कार्यालय नगर निगम, कोटा (राजस्थान)

क्रमांकः- ननिको/गौ/07/412-421 दिनांक 25/5/2007

<u>आदेश</u>

श्री गिरधर गौ सेवा समिति, रावतभाटा रोड, कोटा राजस्थान के पत्र दिनांक 23.5.2007 में किये गये अनुरोध के आधार पर गौशाला बन्धा धर्मपुरा से 800 गायें समिति को सौंपने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त मुख्यालय एवं प्रभारी गौशाला दिनांक 26.5.2007 को प्रातः 7:00 बजे गौशाला बन्धा धर्मपुरा पहुंचकर अपनी उपस्थिति में गायों को चिन्हित कराके समिति को सौंपेगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नगर निगम, कोटा

प्रश्न संख्या-5

(स्थगित)

भीलवाड़ा जिले में जन प्रतिनिधियों को नियम विरुद्ध आबंटित भू-खण्ड

6. **श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि भीलवाडा जिले के पंचायत राज जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध स्वयं के नाम पर नियम विपरीत पट्टे जारी अथवा प्राप्त करने की जांच विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस-किस जन प्रतिनिधि के विरुद्ध कब से जांच विचाराधीन है ? अब तक जांच कर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। निम्नानुसार जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध प्राथमिक जांच में दोषी पाये जाने पर विभागीय जांच विचाराधीन है :-

क्र.सं.	प्राथमिक जांच में दोषी पाये गये जनप्रतिनिधियों का नाम	विभागीय जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्ति दिनांक
1.	श्री पृथ्वीराज मेवाड़ा, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत, शम्भूगढ़ पंचायत समिति, आसीन्द	दिनांक 2.11.2006
2.	श्री किशोर कुमार शर्मा, तत्कालीन उप सरपंच, ग्राम पंचायत शक्करगढ़ पंचायत समिति, जहाजपुर	दिनांक 20.1.2007
3.	श्री सुरेशचन्द टेलर, तत्कालीन वार्ड पंच, ग्राम पंचायत शक्करगढ़ पंचायत समिति, जहाजपुर	दिनांक 20.1.2007

स्वयं सेवी संस्थाओं के पदस्थापित उप निदेशकों को आहरण एवं वित्तीय अधिकार

7. **श्री प्रमोद जैन ''भाया''** (बारां) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में बाल विकास परियोजना अधिकारी व महिला पर्यवेक्षक के स्वीकृत पदों के विपरीत दिनांक 01 सितम्बर, 2007 को किस-किस जिले में कितने-कितने पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2006-07 में राज्य के कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण निर्धारित नार्म्स के अनुसार नहीं हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य के किस-किस जिले में स्वयं सेवी संस्थाओं के उप निदेशक पदस्थापित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में स्वयं सेवी संस्थाओं/संगठनों के पद स्थापित उप निदेशकों को आहरण एवं वित्तीय अधिकार किन नियमों के अन्तर्गत दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में सी.डी.पी.ओ. व महिला पर्यवेक्षक के स्वीकृत पदों के विपरीत दिनांक 1 सितम्बर, 2007 को जिलेवार रिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्दों के निरीक्षण से सम्बन्धित सूचनाएं विभाग के अधीनस्थ उप निदेशक/परियोजना कार्यालयों द्वारा संकलित की जाती हैं। उक्त सूचना अत्यन्त विस्तृत है जिसे जिला कार्यालयों से प्राप्त किया जाकर इकजाई किये जाने में समय लगने की सम्भावना है। सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

(3) राज्य में किसी भी जिले में स्वयं सेवी संस्था से लिये गये उप निदेशक पदस्थापित नहीं है। अपितु निम्न जिलों में विशेष चयन नियम 1984 संशोधित नियम 1989 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं से चयनित परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरणों में कार्यरत है, को उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं का अतिरिक्त कार्यभार दिया है-

1. जयपुर 2. डूंगरपुर 3. जोधपुर 4. चित्तौडगढ़ 5. बूंदी 6. कोटा 7. दौसा

(4) राज्य में किसी भी जिले में स्वयं सेवी संस्था से लिये गये उप निदेशक पदस्थापित नहीं है। जयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा एवं दौसा जिलों के परियोजना निदेशकों को उनके जिले के उप निदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्य सम्पादन करने के फलस्वरूप सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत आहरण एवं वित्तीय अधिकार दिये गये हैं।

परिशिष्ट - ''अ''

क्र. सं.	जिला	बाल विकास परियोजना अधिकारी		महिला पर्यवेक्षक (नवीनतम स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार	
		स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	अजमेर	11	—	61	16
2	अलवर	15	02	97	14
3	बांसवाड़ा	09	—	85	01
4	बारां	08	04	47	13
5	बाड़मेर	09	01	93	55
6	भरतपुर	10	03	64	—
7	भीलवाड़ा	12	05	69	13
8	बीकानेर	06	02	54	18
9	बूंदी	05	02	36	06
10	चित्तौड़गढ़	15	05	79	16
11	चुरू	09	01	63	28
12	दौसा	06	01	49	04
13	धौलपुर	05	01	33	01
14	डूंगरपुर	05	—	57	—
15	श्रीगंगानगर	08	04	62	05
16	हनुमानगढ़	05	04	42	14
17	जयपुर	17	—	124	15
18	जैसलमेर	03	—	22	13
19	जालौर	07	05	46	29
20	झालावाड़	07	03	45	06
21	झुन्झूनूं	09	04	59	18
22	जोधपुर	10	01	81	28
23	करौली	06	01	44	09

24	कोटा	06	03	40	03
25	नागौर	13	02	95	44
26	पाली	11	04	60	26
27	राजसमन्द	08	04	39	12
28	सवाई माधोपुर	07	01	31	08
29	सीकर	11	01	73	41
30	सिरोही	06	02	33	08
31	टोंक	07	02	44	12
32	उदयपुर	12	—	107	32

- भारत सरकार के नवीनतम स्टाफिग पैटर्न के अनुसार एक परियोजना में एक बाल विकास परियोजना अधिकारी या एक सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी को लगाए जाने के निर्देश है। उक्त निर्देशानुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी की सूचना संकलित की गयी है।
- उक्त महिला पर्यवेक्षक के स्वीकृत पदों में वरिष्ठ महिला पर्यवेक्षक के आदेश क्रमांक 78174 दिनांक 13-8-2007 द्वारा क्रमोन्नत किये गये 375 पद सम्मिलित हैं जिन पर महिला पर्यवेक्षक पदस्थापित है। इन पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्रीगंगानगर जिले से संचालित निजी बस सेवा से प्राप्त राजस्व

8. **श्री लालचन्द मेघवाल** (रायसिंहनगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला श्रीगंगानगर के किस-किस शहर में कितनी-कितनी निजी बसें जयपुर, दिल्ली, आगरा, कोटा व अन्य शहरों के लिए संचालित हैं व इससे राज्य को कितनी आय होती है ?

(2) वर्तमान में रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) से कितनी निजी बसें जयपुर तक व जयपुर से रायसिंहनगर तक संचालित की जा रही हैं ? इससे सरकार को कितनी आय हो रही है ?

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर के किसी भी शहर से जयपुर, दिल्ली, आगरा, कोटा अथवा किसी अन्य बड़े शहर के लिए कोई निजी स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्रधारी वाहन संचालित नहीं है, क्योंकि इन शहरों के लिए निजी स्टेज कैरिज बसों के संचालन हेतु कोई निजी स्टेज कैरिज मार्ग जिला श्रीगंगानगर के किसी भी शहर से निर्धारित नहीं है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88(9) के तहत वाहनों को पर्यटक अनुज्ञापत्र जारी किये जाने का प्रावधान है। ऐसी संविदा अनुज्ञापत्र बस श्रीगंगानगर जिले के किसी शहर से संविदा आधार पर जयपुर, दिल्ली, आगरा, कोटा अथवा किसी बड़े शहर के लिए संचालित हो सकती है। यह संचालन आवश्यकतानुसार किया जाता है। अत: इनकी संख्या बताया जाना सम्भव नहीं है। श्रीगंगानगर जिले में पर्यटक अनुज्ञापत्रधारी निजी संविदा बसों से प्रतिमाह लगभग 5.73 लाख रुपये की आय प्राप्त होती है।

(2) रायसिंहनगर से जयपुर अथवा जयपुर से रायसिंहनगर के लिए भी निजी स्टेज कैरिज का कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है। अत: इस मार्ग पर कोई निजी स्टेज कैरिज वाहन संचालित नहीं है।

पर्यटक अनुज्ञापत्र प्राप्त निजी संविदा वाहन संविदा आधार पर रायसिंहनगर से जयपुर अथवा अन्य किसी स्थान के लिए संचालित होने पर, समस्त भारत पर्यटक अनुज्ञापत्र प्राप्त बस को स्लीपर बस की स्थिति में चैसिस की कीमत का 42 प्रतिशत प्रतिवर्ष, जो अधिकतम 25,000/- रु. प्रतिमाह तथा स्लीपर बस से भिन्न बसों पर विशेष पथकर की दर से चैसिस की कीमत का 36 प्रतिशत प्रतिवर्ष, जो अधिकतम 25000/- रु. प्रतिमाह है, देय होता है। इसी प्रकार समस्त राजस्थान अनुज्ञापत्र प्राप्त बस को चैसिस कीमत का 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष, जो लगभग 18,000/- रु. प्रतिमाह होता है, देय होता है।

अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण में असमानता

9. **श्री निर्भय लाल जाटव** (रूपवास) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का कितना आरक्षण है ?

(श्री निर्भय लाल जाटव)

(2) क्या उक्त आरक्षण राज्य के सभी जिलों में समान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उदयपुर सम्भाग में अनुसूचित जाति/जनजाति को कितना आरक्षण मिल रहा है क्या उक्त आरक्षण में असमानता है ? यदि हां, तो क्यों सरकार सभी जिलों में समान, आरक्षण लागू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए क्रमश: 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय अभ्यार्थियों से भरने का प्रावधान किया गया है।

(3) उदयपुर सम्भाग के बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों का सम्पूर्ण भाग एवं उदयपुर चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जन जाति के लिये 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

जिन जिलों में उपरोक्तानुसार आरक्षण लागू किया गया है वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित है। अत: उन जिलों की अन्य जिलों के साथ आरक्षण में समानता नहीं की जा सकती है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संस्थानिक/चैरिटेबिल संस्थाओं को आबंटित भूमि

10. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संस्थानिक, चैरिटेबल एवं जनहितार्थ काम करने वाली संस्थाओं को वर्ष 2003-04 से अब तक कितनी-कितनी भूमि, कहां-कहां पर, किन-किन शर्तों के साथ, कितने-कितने मूल्य में व कितने समय के लिये आबंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(हरिमोहन शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्थाओं को भूमि आबंटन के पश्चात् जिन उद्देश्य व शर्तों के साथ भूमि आबंटित की गई है, के सम्बन्ध में जांच करवाने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो अब तक उक्त प्रकार की किन-किन संस्थाओं की जांच की गई और कौन-कौनसी संस्थायें शर्तों का उल्लंघन करने की दोषी पाई गई व सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) जिन संस्थाओं ने उक्त उद्देश्यों के लिये भूमि आबंटित करवायी, उनमें से कितनी संस्थाओं ने उद्देश्यों के विपरीत व्यवसायिक दृष्टिकोण से आबंटित भूमि का उपयोग किया और उसके लिये किस-किस संस्था ने कितनी-कितनी राशि विभाग में जमा करवाई ?

(4) क्या संस्थानिक उद्देश्य के लिये भूमि आबंटन करवाकर कुछ समय बाद उस भूमि का उपयोग व्यवसायिक करने के उद्देश्य से कुछ राशि और जमा कराने के पश्चात् उन्हें इस प्रकार की शर्तों के उल्लघंन से मुक्त किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस संस्था को ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2003-04 से अब तक कुल 68 संस्थानिक, चैरिटेबिल एवं जनहितार्थ काम करने वाली संस्थाओं को भूमि आबंटित की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। आबंटन शर्तों की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। आबंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाता है।

(2) जी हां। समय-समय पर अथवा कोई शिकायत प्राप्त होने पर इसकी जांच की जाती है। परिशिष्ट 'अ' के क्रम सं. 37 पर आबंटित संस्था कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स) श्री किशनपुरा के प्रकरण में नियम समय राशि जमा नहीं कराने के कारण आबंटन निरस्त कर दिया गया तथा सूचना संस्था को दी जा चुकी है।

(3) जी नहीं। किसी भी संस्था ने संस्थानिक उद्देश्यों के विपरीत व्यावसायिक उपयोग नहीं किया है।

(4) जी नहीं। ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

मेवात विकास हेतु आबंटित राशि में वृद्धि

11. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है की लम्बे समय से मेवात विकास बोर्ड की बैठक नहीं हुई है ? क्या सरकार उक्त बैठक बुलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार मेवात क्षेत्रीय विकास योजना का बजट बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड की 12वीं बैठक दिनांक 11 सितम्बर, 2006 को आयोजित की गयी थी। बोर्ड की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित किये जाने का प्रावधान है।

जी हां। मेवात बोर्ड की बैठक आयोजित करने हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है। बोर्ड की आगामी बैठक शीघ्र आयोजित की जायेगी।

(2) जी नहीं। मेवात क्षेत्रीय विकास योजना में बजट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दलपुर (नादोती) ग्राम पंचायत में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना

12. **श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार किसानों की समस्या को ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत मुख्यालय दलपुरा तहसील नादोती जिला करौली में 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत मुख्यालय दलपुरा तहसील नादौती जिला करौली में 33 के.वी. सब-स्टेशन के प्रस्ताव तकनीकी एवं वित्तीय रूप से साध्य पाये जाने पर सब-स्टेशन को स्वीकृत किया जाना सम्भव होगा।

पाली जिला परिषद् को केन्द्रीय योजनाओं के तहत प्राप्त राशि का उपयोग

13. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद पाली द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1998 से अब तक अनेक केन्द्रीय योजनाओं के तहत प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग नहीं करके पुनः लौटा दी गई है ? यदि हां, तो लौटाई गई राशि का कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त काल में अनेक योजनाओं के तहत प्राप्त राशि पूरी ही यथावत लौटानी पड़ी ? यदि हां, तो क्यों व दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जिला परिषद पाली द्वारा 1 अप्रैल, 1998 से अब तक निम्न योजनाओं में प्राप्त राशि में से निम्न राशि इन योजनाओं के बन्द होने/अन्य विभागों में हस्तान्तरण होने के कारण पुनः लौटाई गई :

योजना का नाम	राशि	चालान नं. व दिनांक
बायोगैस	3,38,490	163/3.2.2006
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	12,055	162/3.2.2006
उन्नत चूल्हा	12,45,044	160/3.2.2006
ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	14,91,727	159/3.2.2006
बंधुआ श्रमिक पुर्नवास	750	164/3.2.2006

(2) जी नहीं।

लूणकरणसर (बीकानेर) के एक फसलीय क्षेत्र के कृषकों को विद्युत आपूर्ति हेतु विशेष व्यवस्था

14. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अनेकों स्थानों पर एक फसली क्षेत्र के कृषि कनेक्शन किसान हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने-कितने ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त काश्तकारों द्वारा वर्ष में 6 माह ही कृषि कुओं पर विद्युत उपभोग किये जाने के बावजूद विद्युत आपूर्ति मांग अनुरूप नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर की तहसील लूणकरणसर के अनेक ऐसे गांव हैं जहां के कृषि कनेक्शनधारियों को वर्ष में केवल एक ही फसल मिल पाती है ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों को ?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के किसानों को एक फसली एरिया होने के कारण मांग अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि कनेक्शन नीति 2004 के अन्तर्गत कृषि कनेक्शन दिए जाते हैं। इस नीति में कृषि प्रयोजन हेतु विद्युत कनेक्शन देने की प्रक्रिया में एक फसली अथवा बहुफसली आधार पर कनेक्शन दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) वर्तमान में सभी क्षेत्रों में 6 घंटे थ्री फेज ब्लाकवार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(3) तहसील लूणकरणसर के केवल कालू तथा गारबदेसर ग्राम ही ऐसे हैं कि जिनके कुओं पर एक फसल रबी की होती है।

(4) विद्युत निगम के क्षेत्रान्तर्गत फसली एरिया अनुसार विद्युत आपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है तथा वर्तमान में सभी क्षेत्रों में 6 घंटे थ्री फेज ब्लाकवार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

खारची में विधायक स्थानीय विकास कोष से करवाये गये कार्य

15. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में जनवरी, 2004 से अब तक विधायक स्थानीय विकास कोष योजनान्तर्गत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये व

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

उनमें से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण कर दिये गये ? यदि हां, तो क्या पूर्ण कार्यों की उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी हो चुके हैं ? यदि हां, तो जारी प्रमाण-पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत कार्य अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से तथा किन कारणों से ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अधूरे कार्यों की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा क्या इसके लिये दोषी कार्मिक/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान है ? यदि हां, तो अब तक कितनों के विरुद्ध कब-कब कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि विधायक फण्ड से कराये गये समस्त निर्माण कार्यों पर सूचना पट्ट विवरण सहित लगाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या विधान सभा क्षेत्र खारची में निर्मित कार्यों पर सूचना पट्ट लगा हुआ है व नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कार्यों का सूचना पट्ट लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारचीं में जनवरी, 2004 से अब तक विधेयक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 286 जो कार्य स्वीकृत किये गये हैं तथा उनमें से जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उन कार्यों का वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) स्वीकृत कार्यों में से 205 कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं। 178 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। जारी प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से 81 कार्य अधूरे हैं। इनमें से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 63 कार्य (35 प्रगतिरत एवं 28 कार्य वित्तीय स्वीकृति तथा चालू होने की प्रक्रिया में हैं) तथा अन्य 18 अधूरे कार्यों का विवरण कारण सहित परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। जिला कलक्टर को यथाशीघ्र जांच के लिए निर्देशित कर

(पंचायती राज मंत्री)

दिया है। जांच रिपोर्ट में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया जाएगा तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(5) जी हां। विधायक योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र खारची में पूर्ण कराये गये समस्त निर्माण कार्यों पर सूचना पट्ट लगा दिये गये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

पुष्कर के ग्रामों में अनवरत विद्युत आपूर्ति

16. **डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्रामों में 24 घंटे सिंगल फेस की विद्युत आपूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में इन गांवों में फीडर सुधार कार्यक्रम चल रहा है ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन गांवों में कार्य चल रहा है, इनमें सरकार कब तक 24 घंटे सिंगल फेस विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ कर देगी ? शेष गांवों में कब तक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इस हेतु फीडर सुधार कार्यक्रम योजना का कार्य प्रगति पर है। जिन 11 के.वी. ग्रामीण फीडरों की विद्युत छीजत 20 प्रतिशत से कम हो गयी है उन पर आने वाले गांवों को 24 घंटे सिंगल फेस विद्युत सप्लाई दी जा रही है।

(2) जी हां। जिन फीडरों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं जिनका कार्य प्रगति पर है उनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जिन गांवों में फीडर सुधार का कार्य चल रहा है उनकी विद्युत छीजत 20 प्रतिशत से कम होने पर 24 घंटे सिंगल फेस विद्युत आपूर्ति माह मार्च 2008 तक प्रदान किया जाना सम्भावित है। सभी 11 के.वी. ग्रामीण फीडरों हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं।

परिशिष्ट ''अ''

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में जिन फीडरों/गांवों पर फीडर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कर लिया गया एवं कार्य चल रहा है उनका विवरण

क्र.सं.	फीडर का नाम	गांवों का नाम
अ	**कार्य पूर्ण कर लिया गया है**	
1	माकडवाली	माकडवाली, लोहार्गल, कायड रोड
2	नांद	नांद, भटसूरी, हनुवंतपुरा, प्रतापपुरा, बक्तावरपुरा
3	गनहेडा स्थानीय	गनहेडा
4	भगवानपुरा स्थानीय	भगवानपुरा
5	कडेल स्थानीय	कडेल
6	मानपुरा माइन्स	मानपुरा

ब. कार्य चल रहा है

1	कायमपुरा	कायमपुरा, मानपुरा, पदमपुरा, चाचियावास
2	भांवता	भांवता, अम्बा
3	बुढा पुष्कर	बुढा पुष्कर, नेडल्या, कानस, होकरा
4	देवनगर	देवनगर
5	गनहेडा	चावण्डिया
6	किशनपुरा	किशनपुरा
7	बांसेली	बांसेली, तिलोरा
8	मोतीसर	मोतीसर, सुरजकुंड, भाभियों की ढाणी, कनाडियों की
9	पिचोलिया	पिचोलियां, वाडी गुजरान, खरातो की ढाणी
10	भगवानपुरा	नांद, पगारों की ढाणी

11	मझेवला	मझेवला, खौरी, इटालिया खुर्द रेवत
12	बस्सी	बस्सी, कवलाई
13	बुधवाडा	बुधवाडा, कालेसरा
14	पिचोलिया-II	पिचोलियां, गुढी गुजरान
15	गगवाना	गगवाना
16	नरवर	नरवर, भवानीखेडा, बंवाल
17	नागेलाव	नागेलाव
18	सरसडी	सरसडी, लाली खेड़ा
19	नाथूथला	नाथूथला, नूरियावास, डोडियाना, दांतडा
20	गोला	गोला, अलीपुरा, रामपुरा, तिवरडी
21	जेठाना	जेठाना, सांपला
22	गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़
23	पीसांगन	पीसांगन
24	करनोस	करनोस
25	पगारा	पगारा, मेवाडिया, रिछमालिया
26	फतेहपुरा	फतेहपुरा, सेठन
27	अमृतपुरा	अमृतपुरा
28	अखेपुरा	अखेपुरा, समलपुरा, जसवन्तपुरा
29	लेसवा	लेसवा, रामपुरा

राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को गुर्दा प्रत्यारोपण पर व्यय हुई वास्तविक राशि का पुनर्भरण

17. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों को अथवा उनके आश्रितों को गुर्दा प्रत्योपरण हेतु लगने वाले चिकित्सकीय व्यय का पुनर्भरण सरकार द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो कितना ?

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(2) विगत दस वर्षों में ऐसे कितने मामलों में कितनी-कितनी राशि का पुनर्भरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मामलों में से कितने मामले ऐसे थे जिसकी चिकित्सा/प्रत्यारोपण राज्य से बाहर के अस्पतालों में करवाया गया ? वर्तमान में ऐसे कितने मामले भुगतान हेतु विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ऐसे मामलों में पुनर्भरण की गई राशि में भारी अंतर है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार भविष्य में सभी मामलों में वास्तविक व्यय राशि का पुनर्भरण करने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार ऐसे मामलों में प्रत्यारोपण के पश्चात फॉलोअप पर होने वाले खर्चे का भी पुनर्भरण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1970 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों एवं उनके परिवार को नियमानुसार राजकीय अस्पतालों में कराये गये उपचार पर हुए चिकित्सकीय व्यय का पुनर्भरण अनुज्ञेय है।

(2) चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके सम्बन्धित बजट मद से किया जाता है। किसी रोग विशेष पर व्यय की सूचना पृथक से संधारित नहीं की जाती है।

(3) चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके बजट मद से किया जाता है एवं रोग विशेष के आधार पर सूचना संधारित नहीं की जाती है।

विद्यमान नियमों के शिथिलीकरण हेतु वित (नियम) विभाग से ऐसा कोई प्रकरण वर्तमान में लम्बित नहीं है।

(4) बिन्दु संख्या 4 एवं 5 -

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1970 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को नियमानुसार राजकीय अस्पतालों में कराये गये उपचार पर हुए चिकित्सकीय व्यय का पुनर्भरण अनुज्ञेय है।

(5) उपचार की सुविधा राज्य स्थित राजकीय अस्पताल में उपलब्ध होने के कारण राज्य के बाहर निजी अस्पतालों में कराये गये उपचार की पूर्ण राशि के पुनर्भरण का सामान्यत: कोई औचित्य नहीं है। विशेष परिस्थितियों में गुणावगुण के आधार पर कतिपय मामलों में विचार किया जाता है।

अतारांकित प्रश्नोतर

राज्य कर्मचारियों की राज्य बीमा व प्रावधायी निधि खातों की जानकारी की इन्टरनेट पर उपलब्धता

1. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डोली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने दो वर्ष पहले राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा पॉलिसी तथा प्रावधायी निधि खातों में जमा राशियों की प्रविष्टियों को इन्टरनेट पर उपलब्ध कराने की घोषणा की थी? यदि हां, तो क्या राज्य बीमा व प्रावधायी निधि में जमा राशि की प्रविष्टियां इन्टरनेट पर उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो किस अवधि तक की व नहीं, तो अब कब तक उक्त जानकारी नेट पर उपलब्ध करवा दी जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि खातों के गलत नम्बर दर्ज होने व अन्य कारणों से कितनी राशि सस्पेंस अकाउंट में है जिससे कर्मचारियों की कटौती समय पर जमा होने के बावजूद प्रत्येक माह गैप पीरियड दर्शाया जाता है और इससे कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं ? प्रभावित कर्मचारियों की सूची व राशि का विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभागों से प्राप्त राज्य कर्मचारियों की राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि की कटौती राशि के जमा नहीं होने के गैप पीरियड नेट पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो किस अवधि तक के व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार नेट के माध्यम से वेतन बिल पारित करते समय ही सीधे कर्मचारी के राज्य बीमा व प्रावधायी निधि खाते में राशि जमा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार नेट बैंकिंग की तरह राज्य कर्मचारियों का पैसा सीधे कोषागार में भिजवाने का विचार रखती है, जिससे सस्पेंस अकाउंट क्रियेट ही नहीं हो ?

उत्तर

(1) वितीय वर्ष 2006-07 के बजट अभिभाषण के पैरा संख्या 152 में माननीया मुख्य मंत्री महोदया द्वारा यह घोषणा की थी कि ''राज्य कर्मचारियों

(वित्त मंत्री जी)

की सुविधा हेतु एक व्यापक Web-portal बनाया जायेगी। जिसके माध्यम से राज्य बीमा एवं GPF खातों सम्बन्धी सूचना कर्मचारियों द्वारा Internet के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी।''

उक्त घोषणा के अनुसार राज्य बीमा विभाग की वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in सृजित की गई है। इस वेब-साइट पर राज्य कर्मचारियों के बीमा एवं प्रावधायी निधि के मास्टर इन्डैक्स जिसमें उनकी 1. पॉलिसी संख्या/खाता संख्या, 2. नाम, 3. पिता का नाम, 4. जन्म तिथि, 5. मनोनीत, 6. प्रथम कटौती माह एवं वर्ष (बीमा योजना), 7. पत्रावली की जिला स्थिति एवं 8. पत्रावली की उपलब्धता अवधि की स्थिति दर्शाई जा रही है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि की जमा राशियों की प्रविष्टियां इस वेबसाइट पर अभी तक नहीं दर्शायी जा सकी हैं, क्योंकि खातों में जमा राशियों हेतु सभी बीमा कार्यालयों का कम्प्यूटरीकृत होना एवं एक Integrated web-portal सॉफ्टवेयर होना आवश्यक है जो अभी नहीं हुआ है।

(2) वर्तमान में (31.8.2007) बीमा योजना में बीमा निधि 3350 करोड़ रुपये हैं जबकि सस्पेंस अकाउंट में 3.73 करोड़ है जो कुल बीमा निधि का मात्र 0.11 प्रतिशत है। वर्तमान में प्रावधायी निधि योजना में 10,136 करोड़ रुपये जमा हैं, जब कि सस्पेंस अकाउंट में 5.16 करोड हैं, जो कुल प्रावधायी निधि का 0.05 प्रतिशत है।

कर्मचारियों की सूची व गेप राशि का विवरण अत्यधिक श्रमसाध्य एवं अनुपलब्धता के कारण उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं प्रतीत होता।

(3) जी नहीं। सभी विभागीय कार्यालय कम्प्यूटरीकृत नहीं होने एवं उनके लिए एक Integrated software नहीं होने से ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका है।

(4) जी नहीं। वेतन बिल पारित होने एवं राशि आहरित करने के पश्चात् राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि की राशि नेट के माध्यम से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के कम्प्यूटर पर हस्तान्तरित करने हेतु सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु निविदायें आमंत्रित की गई हैं।

(5) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत आबंटित राशि का उपयोग

2. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए बी.जी.आर.एफ. (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि) योजनान्तर्गत वर्ष 2004 से अब तक कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत कब-कब कितनी-कितनी राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त कर किन-किन जिलों में कब-कब वितरित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि नहीं उठाई गई ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे व इसमें कौन-कौन दोषी हैं ? सरकार द्वारा दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) यह योजना वर्ष 2004 में लागू नहीं हुई थी। राज्य में यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में आरम्भ की गई। बी.आर.जी.एफ. योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 में भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल 199.68 करोड़ रुपये की राशि देने की सूचना दी गई है। जिसके विरूद्ध अब तक 82.87 करोड़ रुपये की राशि राज्य को उपलब्ध करवायी गई है।

(2) योजनान्तर्गत (विकास कोष) चयनित जिलों के लिये भारत सरकार से प्राप्त राशि व जिलों को आबंटित राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	जिलों के नाम	भारत सरकार द्वारा जारी राशि		जिलों को आबंटित राशि	
		दिनांक	राशि (करोड़ों में)	राशि (करोड़ों में)	दिनांक
1.	सवाई माधोपुर	24.05.07	7.50	3.75	28.07.07
2.	बांसवाड़ा	31.05.07	7.50	3.75	28.07.07
3.	करौली	24.05.07	7.50	3.75	28.07.07
4.	टोंक	31.05.07	7.50	3.75	28.07.07

(पंचायती राज मंत्री)

5.	उदयपुर	24.05.07	7.50	3.75	28.07.07
6.	जैसलमेर	31.05.07	7.50	3.75	28.07.07
7.	चित्तौड़गढ़	13.06.07	5.00	5.00	9.08.07
8.	जालोर	13.06.07	7.50	7.50	9.08.07
9.	सिरोही	13.06.07	5.00	5.00	9.08.07
10.	बाड़मेर	13.06.07	5.00	5.00	9.08.07
11.	डूंगरपुर	12.07.07	7.50	7.13	24.08.07
	योग		75.00	52.13	

इसके साथ ही वर्ष 2006-07 की क्षमता निर्माण योजना के तहत प्रस्तावित राशि 12.00 करोड़ के विरूद्ध भारत सरकार से राशि 787.07 लाख ही प्राप्त हुई है जिसका कार्यकारी संस्थाओं को हस्तान्तरण किया जा चुका है।

(3) जी नहीं।

गांधी नगर, जयपुर के एफ टाइप राजकीय आवासों के रखरखाव पर व्यय

3. **श्री हीरालाल (निवाई)** (निवाई) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गांधी नगर, जयपुर स्थित एफ टाइप के किन-किन राजकीय आवासों में वर्ष 2002-03 से वर्ष 2007-08 की अवधि में रखरखाव (मेन्टीनेन्स) हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्वीकृति हेतु उक्त एफ टाइप के किन-किन राजकीय आवासों का किस-किस कार्य हेतु कितना-कितना एस्टीमेट सरकार से प्राप्त हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजकीय आवासों में रख-रखाव हेतु राशि स्वीकृत करने के मानदण्ड क्या हैं ? क्या राशि आबंटन/स्वीकृति में नियमों का पालन किया गया है ? यदि हां, तो एफ टाइप के कुछ राजकीय आवासों के रख-रखाव हेतु वर्ष 2007-08 के एस्टीमेट किस आधार पर अस्वीकार किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल)

(4) वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी राशि आबंटन/स्वीकृति हेतु शेष है ? क्या अब स्वीकृति में अस्वीकार किये गये एस्टीमेट को प्राथमिकता दी जाएगी ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जयपुर स्थित एफ टाइप के जिन राजकीय आवासों में वर्ष 2002-03 से वर्ष 2007-08 की अवधि में रखरखाव हेतु जितनी-जितनी राशि जिस कार्य हेतु स्वीकृति की गई का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट 'अ' से 'ख')

(2) वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्वीकृति हेतु सा.नि.वि. द्वारा सामान्य प्रशासनिक विभाग को जिस-जिस कार्य के एस्टीमेट प्रेषित किये गये का विवरण संलग्न (परिशिष्ट 'ग')

(3) राजकीय आवासों के रख-रखावों हेतु राशि की स्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवासों की आवश्यकतानुसार स्वीकृति की जाती है वर्ष 2007-08 में राजकीय आवासों के रखरखाव हेतु जो एस्टीमेट सानिवि द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये (परिशिष्ट 'ग') उनकी स्वीकृति सा.प्र. विभाग से अपेक्षित है।

(4) एफ टाईप के आवास चतुर्थ श्रेणी के आवासों के अन्तर्गत आते हैं इसके लिये पृथक से राशि का आबंटन प्राप्त नहीं होता है। पृथक से चतुर्थ श्रेणी के आवासों हेतु इकजाई आबंटन प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्रथम से चतुर्थ श्रेणी आवासों के लिए अब 4.27 लाख रुपये शेष है। एस्टीमेटस की तुलना में प्रावधान काफी कम होता है। अत: सभी एस्टीमेटस स्वीकृत किये जाने सम्भव नहीं होते। कार्य की आवश्यकता तथा गुण दोष के आधार पर स्वीकृति की कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

शराब माफिया द्वारा अवैध बिक्री एवं राज्य कर्मियों से मारपीट के दर्ज प्रकरण

4. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार को देशी व विदेशी शराब की बिक्री से गत तीन वर्षों में

(श्री भरत सिंह)

कितना राजस्व प्राप्त हुआ ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शराब की बिक्री में वृद्धि के साथ ही अवैध रूप से बनाई जा रही शराब तथा अवैध रूप से बेची जा रही देशी व विदेशी शराब में बढ़ोत्तरी हुई है ? यदि हां, तो वर्ष 2007-08 में कुल कितने प्रकरण उजागर हुए हैं तथा कितनी शराब व वाहन जब्त किए गए तथा कितने मुल्जिम गिरफ्तार किए गए व कितने फरार हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अवैध शराब की बिक्री में संगठित अपराधी सम्मिलित होने के कारण अनेक स्थानों पर पुलिस व आबकारी अधिकारियों के साथ मारपीट भी होती है ? यदि हां, तो वर्ष 2007-08 में इस प्रकार की कुल कितनी घटनाएं घटित हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार को देशी व विदेशी शराब की बिक्री से प्राप्त राजस्व निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ों में)

विवरण	वर्ष		
	2004-05	2005-06	2006-07
देशी मदिरा से आय	449.06	753.50	598.00
भारत निर्मित विदेशी मदिरा से आय	604.41	429.68	563.00
योग	**1050.47**	**1183.18**	**1161.00**

(2) जी नहीं।

(3) अवैध शराब की रोकथाम के प्रयास में विभागीय अधिकारियों के साथ वर्ष 2007-08 में 07 ऐसी घटनायें घटित हुई हैं। इन प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2007-08 में विभागीय अधिकारियों के साथ मारपीट के दर्ज प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	घटना का दिनांक	घटना का स्थल	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	
				मारपीट किसके साथ हुई	दर्ज प्रकरण का विवरण मय अपराध की धाराएं आदि
1	2	3	4	5	6
1	टोंक	24.7.07	हरिजन बस्ती काली पलटन क्षेत्र टोंक	श्री मूलचन्द बैरवा सिपाही	मु.नं. 194/07 पुलिस थाना कोतवाली टोंक में आई.पी.सी. की धारा 332, 353 विरूद्ध श्रीमती धापू, सुमन केवल व श्री नवीन कुमार सांसी के विरूद्ध दर्ज कराया।
2	अलवर	25.6.07	आगर	श्री अनिल कुमार जैन आ.नि. अलवर प., श्री रामजी लाल,आबकारी थाना प्रभारी अलवर ग्रा., श्री सुभाष चन्द सिपाही पुलिस विभाग	पुलिस थाना प्रतापगढ़ (थानागाजी) में श्री पांचू मीणा निवासी आगर के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया।
3	सीकर	10.7.07	पीपली	श्री रामचन्द सिपाही आबकारी निरोधक दल फतेहपुर, वाहन सं. आर.जे.23/ टी.ए.249	मुकदमा नं. 196/07 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ अन्तर्गत धारा 332, 353 आई.पी.सी. व 3 पीडी.पी.पी.एक्ट के अन्तर्गत दर्ज करवाया गया।

1	2	3	4	5	6
4	सीकर	17.8.07	ढ़ाणी बाढ़ तन. दलेलपुरा	श्री रतिराम उपनिरीक्षक प्रभारी आबकारी थाना नीम का, सिपाही सर्व श्री रामचन्द्र, रामअवतार, अर्जुन सिंह, सतपाल सिंह, भूपेन्द्र सिंह, वाहन संख्या आर.जे. 23/ टीए 0211 को क्षतिग्रस्त किया	मुकदमा नं. 269/07 पुलिस थाना खेतडी अन्तर्गत धारा 147, 147, 149, 332, 353, 307 ,394 आई.पी.सी. व 3 पीडी. पी.पी.एक्ट में दर्ज करवाया गया।
5	चूरू	19.4.07	पडिहारा	श्री जितेन्द्र सिंह आबकारी निरीक्षक रतनगढ़	मुकदमा नं. 77/07 पुलिस थाना रतनगढ़ अन्तर्गत धारा 143, 353, 333 व 336 आई.पी.सी. में दर्ज कराया गया।
6	चूरू	09.6.07	बाय त.तारान गर	श्री पोमाराम प्रहराधिकारी आबकारी नि. दल राजगढ़	मुकदमा नं. 106/07 पुलिस थाना तारानगर अन्र्तगत धारा 353, 332 आई.पी.सी. में दर्ज कराया गया।
7	झालावाड़	25.5.07	झीकनी	श्री कैलाश चन्द, आ.नि. खानपुर तथा प्रभूलाल चन्देल प्रहराधिकारी एवं पार्टी	मुकदमा नं. 52/07 अन्र्तगत धारा 143, 353 आई.पी.सी., पुलिस थाना मनोहर थाना में अज्ञात लोगों के विरूद्ध दर्ज करवाया गया।

मदिरा विक्रय केन्द्रों की स्वीकृति हेतु नियम विरुद्ध शिथलन

5. श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में राजस्थान आबकारी नियम 75 के प्रावधानों के विपरीत कौन-कौनसी मदिरा दुकान संचालित हो रही हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

(2) राज्य में नियम 75 में शिथिलता देते हुए किस-किस अनुज्ञापत्रधारी को मदिरा दुकान संचालन की स्वीकृति किन-किन कारणों से दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में नियम 75 का उल्लंघन कर मदिरा दुकान संचालन की किस-किस अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नियम 75 के प्रावधानों के विपरीत कोई मदिरा दुकान संचालित नहीं हो रही है।

(2) नियम 75 के अन्तर्गत प्रदत्त शिथिलता के अन्तर्गत संचालित 352 दुकानों की सूची संलग्न (परिशिष्ट–एक) है।

(3) ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के समक्ष नहीं आया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

पाली जिला परिषद को निजी भवनों पर लगे होर्डिंग्स से प्राप्त राजस्व

6. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरीय क्षेत्र में निजी भवनों पर लगने वाले विज्ञापनों व होर्डिंग्स का किराया भी स्वायत्तशासी संस्थाओं में जमा करवाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो विगत 10 वर्षों में पाली जिले की स्वायत्तशाशी संस्थाओं में इस प्रकार कितनी राशि जमा की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में नगर परिषद पाली में लगे विद्युत खम्भों पर अनेक व्यक्ति विशेष के नाम शुभकामना संदेश लिखे होर्डिंग्स लगाए गए थे ? यदि हां, तो उनसे प्राप्त आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगरीय क्षेत्र में विज्ञापन एवं होर्डिंग्स के किराये की वसूली के लिये नगरीय निकाय उप विधि/नियम बना कर नियमानुसार किराया वसूल कर सकती है। इस मद में पाली जिले की एकमात्र नगर पालिका रानी खुर्द में विगत 10 वर्षों में 2500/- रुपये की राशि जमा की गई है।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(2) नगर परिषद, पाली में वर्ष 01.12.06 से 31.03.08 में विद्युत खम्भों पर विज्ञापन हेतु कियोस्क बोर्ड लगाने का ठेका दिया गया था। ठेका अवधि 16 माह हेतु कुल 1,35,000/- रुपये की राशि जमा हुई। इन होर्डिंग्स पर किसी व्यक्ति विशेष के नाम से शुभकामना संदेश लिखे जाने हेतु नगर परिषद से पृथक से स्वीकृति अथवा ठेका नहीं दिया गया है।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा धारा 91 के अन्तर्गत आबंटित आवास

7. **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (बारां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा धारा 91 के अन्तर्गत माह जनवरी, 1994 से अगस्त, 2007 तक किस-किस आवेदक को किस-किस दिनांक को आवास आबंटन किये गये ? आबंटियों के नाम, पते सहित धारा 91 के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवास किन-किन शहरों की किन-किन कालोनियों में किस-किस नम्बर के हैं एवं इनकी साइज कितनी-कितनी हैं आबंटीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवास आबंटन हेतु किस-किस आबंटी से कितनी-कितनी राशि जमा हुई ? आबंटीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) धारा 91 में आवासों का आबंटन किसकी अनुमति, स्वीकृति या अनुमोदन से किया जाता है ? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा धारा 91 के अन्तर्गत कोई आवास आबंटित नहीं किया गया। शेष सूचना शून्य है।

(2) सूचना शून्य है।

(3) सूचना शून्य है।

(4) प्रश्न के प्रथम भाग की सूचना शून्य है। आवासन मण्डल से संबंधित किसी अधिनियम या विनियम में धारा 91 मौजूद नहीं है। अत: नियमों की प्रति उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

अर्पित नगर (जयपुर) आवासीय योजना हेतु आवश्यक सुविधाएं

8. **श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वैशाली नगर जयपुर में गांधी पथ पर स्थित आवासीय योजना अर्पित नगर में सड़क, पानी एवं सीवरेज लाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अब उक्त आवासीय योजना के भूखण्डधारियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदत्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वैशाली नगर क्षेत्र स्थित आवासीय योजना अर्पित नगर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना की अवाप्ति में होने के कारण तथा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहित याचिका संख्या 6702/2002 के स्थगन आदेश से प्रभावित होने के कारण अनुमोदन नहीं किया है। अतः सड़क, सीवरेज का निर्माण नहीं हुआ है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाओं में पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाती है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पेयजल व्यवस्था अपनी स्वयं द्वारा विकसित कॉलोनियों में ही की जाती है।

(2) जी नहीं। चूंकि योजना पृथ्वीराज नगर की अवाप्ति में होने के कारण तथा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहित याचिका संख्या 6709/2002 के स्थगन आदेश से प्रभावित होने के कारण योजना का नियमन नहीं किया गया है। अतः नियमन होने के उपरान्त ही उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना संभव होगा।

''सरतीनगर'' आवासीय योजना जयपुर के नियमन हेतु निर्धारित दर

9. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर में आवासीय एवं व्यवसायिक परिसर के निर्माण के सम्बन्ध में क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ?

(श्री हेमाराम चौधरी)

(2) गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की 'सरती नगर' योजना न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर में अब तक किस-किस भूखण्ड स्वामी द्वारा कब-कब एवं कितनी-कितनी राशि हस्तांतरण व आबंटन पत्र हासिल करने के पेटे जमा करवाई जा चुकी है ? भूखण्ड संख्या, वर्तमान स्वामी का नाम, दिनांक एवं राशि का पूर्ण विवरण मय साइट प्लान के सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में अब तक किन-किन को आबंटन पत्र दिये जा चुके हैं ? किस-किस भूखण्ड पर कितना-कितना निर्माण है ? भूखण्ड संख्या एवं स्वामी का नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना की नियमन दर क्या है ? क्या सरकार इस नियमन दर को कम करके, व्यावहारिक बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर में आवासीय एवं व्यावसायिक परिसर के निर्माण के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनिमय 2000 के अन्तर्गत मानदण्ड निर्धारित है जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण के रिकार्ड के अनुसार गुलाबबाड़ी गृ.नि.स.स. की सरती नगर योजना न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर के भूखण्ड स्वामी का नाम, नियमन एवं हस्तांतरण के पेटे जमा कराई गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। साइट प्लान की फोटो प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार संलग्न परिशिष्ट 'ब' के कॉलम 3 के अनुसार भूखण्डों का नियमन किया गया है। प्रत्येक भूखण्ड पर निर्माण की रिपोर्ट विस्तृत सर्वे (पी.टी. सर्वे) करने के पश्चात ही दिया जाना संभव है।

(4) योजना की नियमन दर रुपये 345/- प्रति वर्ग गज है। यह नियमन दर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 09.03.2000 के अनुसार तय की गई है। फिलहाल विद्यमान दरों के संशोधन बाबत् राज्य सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(मानदण्ड की प्रति आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

बालनगर आवासीय योजना (जयपुर) में नियम-विरुद्ध सुविधा क्षेत्र में सम्मिलित भू-खण्ड

10. **श्री मदन मोहन सिंघल** (कामां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सुभाष सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर द्वारा स्कीम नं. 12 में वर्ष 1980 में बाल नगर (करतारपुरा) जयपुर में कॉलोनी के पट्टे जारी किये गये हैं।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति द्वारा भू-खण्ड संख्या 33, बाल नगर का पट्टा भी जारी किया गया है ? यदि हां, तो कब व किसके नाम ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूखण्डधारी द्वारा भूखण्ड का रूपान्तरण शुल्क भी जमा कराया हुआ है ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूखण्ड जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुविधा क्षेत्र में ले लिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(5) क्या सरकार उक्त भूखण्ड मालिक के भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर पट्टा जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्या उक्त भूखण्ड के बदले अन्य स्थान पर भूखण्ड देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त सोसायटी द्वारा उक्त कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 38 को वर्ष 1999 में तथा भूखण्ड संख्या 39, 40 एवं 46 को वर्ष 2000 में सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया गया है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ?

(7) क्या यह भी सही है कि भूखण्ड संख्या 33 का नामांकन वर्ष 1996 में करवा लिया गया है ?

(8) क्या यह सही है कि उक्त सोसायटी की उक्त स्कीम की जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1986 में प्रकाशित सदस्यता पुस्तिका में उक्त भूखण्ड के स्वामी का नाम पृष्ठ संख्या 26 पर क्रम संख्या 34 पर दर्ज है ?

(9) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2004 में सदस्य अपीलीय

(श्री मदन मोहन सिंघल)

अधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं न्यायालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर ने प्रार्थिया के पक्ष में भी फैसला दिया है ? यदि हां, तो अब सरकार उक्त भूखण्ड का पट्टा कब तक दिलवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सुभाष सिन्धी गृ.नि.स.स. जयपुर द्वारा स्कीम नं.-12 में वर्ष 1980 में बाल नगर करतारपुरा जयपुर में पट्टे जारी किये हैं।

(2) जी हां। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त समिति द्वारा भूखण्ड संख्या 33 का दिनांक 20.08.1980 को श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री ताराचन्द्र अग्रवाल को आबंटन पत्र जारी किया गया है।

(3) जी हां। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार भूखण्डधारी द्वारा स्वतः निर्धारण में 1293.57 रुपये प्राधिकृत अधिकारी, कृषि भूमि रूपान्तरण अधिकारी द्वारा जारी रसीद के अनुसार जमा कराये गये हैं।

(4) जी हां। सहकारी समिति की योजना निर्धारित नियमों के तहत 60 प्रतिशत आवासीय एवं 40 प्रतिशत सुविधा एवं सड़क क्षेत्र रखते हुए अनुमोदित की जाती है। तदानुसार योजना के अनुमोदन के समय दिनांक 06.09.1985 को उपरोक्त भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

(5) माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण, जविप्रा, जयपुर ने भू.सं. 33 के संबंध में याची को सुनकर प्रकरण का निस्तारण करने का आदेश दिया है। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में प्रार्थिया श्रीमती विमला देवी को सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबत् सूचित किया जा चुका है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

(6) जी हां। भूखण्ड संख्या 38 को दिनांक 06.11.1998 व भूखण्ड संख्या 39, 40 एवं 46 भवन मानचित्र समिति-II की बैठक संख्या 85/2000 दिनांक 22.12.2000 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया गया है।

(7) जी नहीं। जविप्रा द्वारा वर्ष 1994 तक ही समिति की योजना बालनगर की सदस्यता सूची जो वर्ष 1996 में प्रकाशित की गई थी में पृष्ठ संख्या 26 पर क्रम संख्या 34 पर श्रीमती विमला देवी अग्रवाल पत्नी श्री ताराचन्द अग्रवाल का नाम पूर्व में दर्ज था।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(8) जी नहीं। जविप्रा द्वारा वर्ष 1986 में समिति की कोई सदस्यता पुस्तिका प्रकाशित नहीं की गई थी।

(9) माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण, जविप्रा, जयपुर ने भू.सं. 33 के संबंध में याची को सुनकर प्रकरण का निस्तारण करने का आदेश दिया है। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में प्रार्थिया श्रीमती विमला देवी को सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबत सूचित किया जा चुका है। न्यायालय के निर्णयानुसार प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

श्रीगंगानगर व नागौर जिले के विद्यालयों में खेल स्टेडियम

11. **श्री लालचन्द मेघवाल** (रायसिंहनगर) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा वर्ष 2003 से 2006 की अवधि में जिला श्रीगंगानगर एवं नागौर के किस-किस विद्यालय में कितनी-कितनी राशि एवं किस-किस मद से खेल स्टेडियमों का निर्माण करवाया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

अतारांकित प्रश्न संख्या-11

(स्थगित)

ब्लाक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के श्रेष्ठ खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में चयन

12. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ब्लाक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीम के अच्छे खिलाड़ी को जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में ब्लाक की टीम में से भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ब्लाक स्तर पर प्रत्येक खेलों के बाद ब्लाक के श्रेष्ठ खिलाडियों की टीम बनाकर जिला स्तरीय खेलकूद में अवसर देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा पंचायत समिति स्तर पर ग्रामीण जनजाति और महिला खेलकूद प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान

(युवा एवं खेलकूद मंत्री)

पर रहने वाली टीम के अच्छे खिलाडियों को जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में ब्लॉक की टीम में भाग लेने का अवसर दिया जाता है।

(2) जी हां। पंचायत समिति पर आयोजित ग्रामीण, जनजाति एवं महिला खेलकूद प्रतियोगिता के श्रेष्ठ चयनित खिलाडियों को जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है।

दिगम्बर जैन समाज, सीकर की पंजीकृत संस्थाओं का अंकेक्षण

13. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर शहर में दिगम्बर जैन समाज की कौन-कौनसी संस्थाएं कब-कब पंजीकृत हुई एवं इनके अधीन कौन-कौनसी परिसम्पत्तियां विद्यमान हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दीवानजी की नसियां, पंचायती जैन मन्दिर सीकर पंजीकृत है ? यदि हां, तो यह कब पंजीकृत हुआ तथा पंजीकरण के समय इसके पदाधिकारी कौन-कौन थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दीवानजी की नसियां, पंचायती जैन दिगम्बर मंदिर के विधानानुसार सदस्यों के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है एवं संस्था के चुनाव कब-कब हुए ? विधान की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में उक्त दीवानजी की नसियां, पंचायती जैन मन्दिर सीकर के पदाधिकारी कौन-कौन हैं एवं इसका चुनाव किस मीटिंग में कब किया गया ? बैठक की मिनट्स की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त दीवानजी की नसियां, पंचायती दिगम्बर जैन मन्दिर, सीकर के अधीन क्या-क्या सम्पत्तियां कब-कब से हैं एवं उनसे किस-किस प्रकार की कितनी आय प्रतिवर्ष होती है ?

(6) सरकार द्वारा उक्त दीवानजी की नसियां, पंचायती दिगम्बर जैन मन्दिर, सीकर का ऑडिट कब-कब करवाया गया एवं उसमें क्या-क्या कमियां पाई गई ? ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या उक्त दीवानजी की नसियां, पंचायती दिगम्बर जैन मन्दिर, सीकर का आय-व्यय का लेखा-जोखा संस्था के विधानानुसार चार्टर्ड एकाउटेंट्स द्वारा प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो संस्था का लेखा-जोखा

(श्री भंवरलाल शर्मा)
पंजीकरण के पश्चात् कब-कब प्रमाणित करवाया गया ? वर्तमान में उक्त मन्दिर के अधीन सम्पत्तियों का बाजार मूल्य कुल कितना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर शहर में दिगम्बर जैन समाज की कुल 6 संस्थाएं/प्रन्यास राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत निम्नानुसार पंजीकृत है:-

क्र.सं.	पंजीयन संख्या व दिनांक	नाम संस्था	विद्यमान परिसम्पत्तियां
1.	2/9.4.63	श्री दिगम्बर जैन एजूकेशन ट्रस्ट सीकर	1. संस्था भवन
2.	15/7.6.93	श्री दिगम्बर जैन बडा मन्दिर बीस पंथी आम्नाय सीकर	1. चार दुकान मय चौबारा 2. नसिया (दंगकी) 3. नोहरा व जमीन 4. जमीन 12" X 7' हाथ 5. जमीन देवीपुरा 6. दुकान फतेहपुरी गेट 7. मंदिर भवन बावड़ीगेट
3.	149ए/14.6.68	श्री दिगम्बर जैन मंदिर तेरापंथी बजाज रोड सीकर	1. मंदिर भवन 2. मंदिर के पीछे जमीन 3. मंदिर के पास जमीन
4.	450/20.12.75	श्री दिगम्बर महावीर स्वामी जैन मंदिर, सीकर	1. मंदिर भवन
5.	510/16.12.76	श्री दिगम्बर जैन हायर सैकण्डरी स्कूल बजाज रोड, सीकर	1. विद्यालय भवन
6.	708/10.6.80	भगवान महावीर चैरिटेबल ट्रस्ट, बजाज रोड, सीकर	1. बजाज रोड स्थित भवन

(2) जी नहीं। दीवानजी की नसियां, पंचायती जैन मंदिर सीकर देवस्थान विभाग में पंजीकृत नहीं है।

(देवस्थान मंत्री)

(3) बिन्दु 2 के अनुसार ।

(4) बिन्दु 2 के अनुसार ।

(5) बिन्दु 2 के अनुसार ।

(6) बिन्दु 2 के अनुसार ।

(7) बिन्दु 2 के अनुसार ।

दीगोद में स्वीकृत/निर्माणाधीन ग्रिड सब-स्टेशन

14. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद में गत तीन वर्षों में कितने 33 के.वी. 132 के.वी. के जी.एस.एस. स्वीकृत किए गये तथा कितने जी.एस.एस. बनाना प्रस्तावित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत जी.एस.एस. में से कई जी.एस.एस. का कार्य आरम्भ ही नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक स्वीकृत कार्य पूर्ण करवा लिये जावेंगे ? प्रत्येक जी.एस.एस. के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद में गत तीन वर्षों में स्वीकृत किये गये एवं प्रस्तावित 132 के.वी. व 33 के.वी. जी.एस.एस. का विवरण निम्न प्रकार है:-

स्वीकृत 132 के.वी.जी.एस.एस.

1. देवली मॉजी

स्वीकृत 33 के.वी. सब स्टेशन

1. डाबरी खुर्द (खुराडिया खुर्द)
2. राजगढ़
3. ऑवा
4. बमौरी
5. बडौद

प्रस्तावित 33/11 के.वी. सब स्टेशन

1. खुराढ
2. बोरीनाकलां
3. निमोदा

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। स्वीकृत जी.एस.एस. व कार्य की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :-

स्वीकृत 132 के.वी.जी.एस.	वर्तमान स्थिति
1. देवली मॉंजी	भूमि का आबंटन हो गया है निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं इसे वर्ष 2008-09 में चालू किया जाना प्रस्तावित है।
स्वीकृत 33 के.वी. सब स्टेशन	
1. डाबरी खुर्द (खुराडिया खुर्द)	कार्यादेश जारी कर दिये हैं सामान की उपलब्धतानुसार शीघ्र कार्य शुरू कर दिया जावेगा।
2. राजगढ़	उपरोक्तानुसार
3. ऑवा	स्वीकृति के अनुसार 132 के.वी.जी.एस.एस. देवली मॉंजी के निर्माण के पश्चात कार्य आरम्भ किया जावेगा।
4. बमोरी	रेल्वे क्रासिंग की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
5. बडोद	दिनांक 31.8.2007 को स्वीकृत किया जा चुका है।
प्रस्तावित 33/11 के.वी.सब स्टेशन	
1. खुराढ	इस सब-स्टेशन की तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता की जांच की जा रही है।
2. बोरीना	उपरोक्तानुसार
3. निमोदा	उपरोक्तानुसार

धौलपुर जिले में विद्युत कनेक्शन के लम्बित आवेदन

15. **श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला धौलपुर में घरेलू कनेक्शनों के गत तीन वर्षों से कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(2) क्या यह सही है कि उक्त लम्बित कनेक्शनों में बी.पी.एल. परिवारों के आवेदन-पत्र अलग से रजिस्टर में दर्ज किये जाते हैं ? यदि हां, तो उक्त अवधि में कितने बी.पी.एल. परिवारों को कनेक्शन कब-कब से लम्बित हैं ?

(3) घरेलू कनेक्शन देने के बारे में सरकार की क्या नीति है तथा घरेलू कनेक्शन कितने समय में देने का प्रावधान है ?

(4) सरकार अब उक्त क्षेत्र के लम्बित कनेक्शन कब तक देने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार समय पर घरेलू कनेक्शन न दिये जाने के कारण जनता को हुई असुविधा के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) धौलपुर जिले में विधान सभा क्षेत्रवार घरेलू कनेक्शनों के लम्बित आवेदन पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	लम्बित आवेदन
1	धौलपुर	1094
2	बाडी	712
3	बयाना	110
4	राजाखेड़ा	628
	कुल योग	**2544**

(2) जी नहीं।

(3) घरेलू श्रेणी के कनेक्शन देने की नीति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है केवल वे ही विद्युत कनेक्शन जिनमें विद्युत वितरण तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पडती है अर्थात सर्विस लाइन से घरेलू कनेक्शन दिये जा सकते हैं, 30 दिवस की अवधि निर्धारित की हुई है एवं जिनका लाइन कार्य प्रस्तावित होता है उनके लिये समय सीमा निर्धारित नहीं है तथा सामान की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(उर्जा मंत्री)

(4) पुनः विद्युतिकृत किये जाने वाले ग्रामों व ढाणियों को छोड़कर शेष लम्बित घरेलू कनेक्शन को शीघ्र ही जारी कर दिया जायेगा।

(5) नियमानुसार कार्यवाही न करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रावधान है।

परिशिष्ट 'अ'

घरेलू श्रेणी के विद्युत कनेक्शन लेने हेतु उपभोक्ता के लिये मार्ग निर्देशिका

1. आवेदन पत्र :

- जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र (Form), जो कि प्रत्येक सहायक अभियन्ता (ओ. एण्ड एम) के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है, को भरकर एवं प्रत्येक पेज पर स्वयं आवेदक द्वारा हस्ताक्षर करके सहायक अभियन्ता (ओ. एण्ड एम) कार्यालय में निर्धारित राशि के साथ जमा कराना होता है।
- आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रपत्र विद्युत कनेक्शन हो जाने के पश्चात् निगम एवं उपभोक्ता के बीच कानूनी अनुबन्ध का रूप ले लेता है इसलिये प्रपत्र को सावधानीपूर्वक स्वच्छ अक्षरों में भरा जाये।
- आवेदन पत्र भरने के लिये यदि जरूरत हो तो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (ओ एण्ड एम) के कार्यालय से सहायता ली जा सकती है।

2. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :

- विद्युत कनेक्शन हेतु अनुबन्ध (Agreement) के लिये स्टॉम्प ड्यूटी की पूर्ति हेतु 10 रु. मूल्य का नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर निम्नलिखित अंकित करते हुए हस्ताक्षर सहित संलग्न किया जाये :

''यह स्टाम्प पर............................श्रेणी के विद्युत कनेक्शन श्री/ श्रीमती/कुमारी.................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....के नाम से ....(पता) लेने के लिये स्टॉम्प ड्यूटी की पूर्ति हेतु संलग्न है।''

हस्ताक्षर

- जिस परिवार में विद्युत कनेक्शन चाहा गया है उस परिसर के स्वामित्व/ किरायेदार/कब्जेदार होने के प्रमाण स्वरूप आवश्यक दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जाये।

- सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि उपभोक्ता अपने परिसर की विद्युत फिटिंग भारतीय विद्युत अधिनियम-1956 के नियमों में वर्णित शर्तों को पूरा करता है। इसके लिये विद्युत ठेकेदार द्वारा जारी एल-फार्म प्रस्तुत करना होगा जो कि फिटिंग का विवरण और निरीक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट दर्शाता है। यह एल-फार्म आवेदन पत्र के साथ अथवा बाद में, लेकिन कनेक्शन जारी होने से पूर्व में प्रस्तुत करना होगा।

3. **प्राथमिकता :**

- नये कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र की उप-खण्ड/ग्रामवार प्राथमिकता निर्धारित की जाती है जो कि 'पहले आओ पहले पाओ' नीति के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है।
- नये कनेक्शन के अतिरिक्त विद्युत भार/मांग में वृद्धि अथवा कम करने, नाम परिवर्तन, कनेक्शन को एक नाम से दूसरे के नाम स्थानान्तरित आदि के लिये अलग से निर्धारित प्रपत्र में आवेदक द्वारा भरा जाकर प्रस्तुत करना होगा। इनकी प्राथमिकता भी अलग-अलग निर्धारित की जाती है।
- अन्तिम स्तर पर प्राथमिकता एल-फार्म जमा कराने की तिथी अथवा डिमाण्ड नोट की सम्पूर्ण राशि जमा कराने की तिथी, जो भी बाद में हो, के अनुसार रखी जाती है।

• अविकसित क्षेत्र में स्थाई कनेक्शन राशि	500 रु.
• उपभोग अमानत राशि	100 रु./कि.वा.
• मीटर अमानत राशि	350 रु./650 रु.
• मीटर बक्से की कीमत	350 रु./950 रु.

कनेक्शन जारी होने के पश्चात् लागू विद्युत दरें

• स्थाई प्रभार	80 रु./105 रू.प्रति सेवा
• उर्जा प्रभार	
• प्रथम 50 यूनिट/माह तक	195 पैसे/यूनिट
• 50 यूनिट माह से अधिक दर	350 पैसे/यूनिट

(ऊर्जा मंत्री जी)

(सी) ग्रामीण क्षेत्र (गैर आबादी क्षेत्र में 300 मीटर तक दूरी हेतु एवं आबादी क्षेत्र में)

- आवेदन पत्र के साथ आवेदन राशि
  - एल टी सिंगल फेज 200 रु.
  - एल टी थ्री फेज 500 रु.
- स्थाई कनेक्शन राशि 1500. रु.
- उपभोग अमानत राशि 100 रु./कि.वा
- मीटर अमानत राशि 350 रु./650 रु.
- मीटर बक्से की कीमत 350 रु./950 रु.

कनेक्शन जारी होने के पश्चात् लागू विद्युत दरें

- स्थाई प्रभार 80 रु./105 रु. प्रति सेवा
- उर्जा प्रभार
  - प्रथम 50 यूनिट/माह तक 195 पैसे/यूनिट
  - 50 यूनिट माह से अधिक पर 350 पैसे/यूनिट

टिप्पणी :- यदि विद्युत सप्लाई रात-दिन उपलब्ध नहीं हो तो उर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट

चूरू जिले में विधवाओं की पुत्रियों के विवाह सहायतान्तर्गत व्यय राशि

16. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004-05, 2005-06 व 2006-07 में जिला चूरू में विधवाओं की पुत्री के विवाह, सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध कितने आवेदन स्वीकृत कर कितनी राशि की सहायता कब-कब प्रदान की गई ? वर्षवार, तहसीलवार तथा पंचायतवार लाभार्थियों की सूची मय पते के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त आवेदनों से, निरस्त किये गये आवेदनों के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(4) वर्ष 2004-05 व 2005-06 में उक्त योजनान्तर्गत कितने बजटीय प्रावधान के विरुद्ध संशोधित प्रावधान रख कितना वास्तविक व्यय किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2004-05, 2005-06 व 2006-07 में जिला चूरू में विधवाओं की पुत्री के विवाह पर सहायता हेतु प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदनों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र
2004-05	31	20
2005-06	58	65
2006-07	46	31

आवेदकों को प्रदान की गई सहायता राशि, स्वीकृति तिथि का वर्षवार, तहसीलवार तथा पंचायतवार लाभार्थियों की सूची मय पते के परिशिष्ट 'अ' संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) निरस्त किये गये आवेदनों के कारणों का विवरण परिशिष्ट 'ब' संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) योजनान्तर्गत लाभार्थियों की पात्रता के निम्न मापदण्ड निर्धारित हैं :-

1. महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
2. विधवा की मासिक आय हर स्त्रोत से।
3. परिवार में कोई व्यस्क कमाने वाला नहीं हो।
4. उक्त में वर्णित महिला की 2 कन्या संतान के लिए ही यह सहायता देय होगी।
5. विवाह योग्य कन्या की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।

(4) योजनान्तर्गत जिलों को उनकी मांग पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर राशि प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वर्ष 2004-05 व 2005-06 में बजटीय प्रावधान के विरुद्ध संशोधित बजट प्रावधान कराकर निम्न प्रकार व्यय किया गया।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(राशि लाखों में)

वर्ष	बजटीय प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2004-05	80.00	105.00
2005-06	150.00	205.00

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायती राज चुनाव में लाटरी व्यवस्था का प्रभाव

17. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में नवीन पंचायत राज किस वर्ष लागू किया गया व इसके लागू होने के बाद से अब तक कितने चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं ?

(2) क्या नवीन पंचायत राज व्यवस्था लागू करने से पंचायत राज सशक्त हुआ है ? यदि हां, तो इसका मूल्यांकन का आधार क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत राज चुनाव में आरक्षण व्यवस्था लागू होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र से लोकप्रिय नेतृत्व का चयन प्रभावित हुआ है व किसी भी व्यक्ति का दुबारा चुनाव लड़ने का निर्णय लॉटरी व्यवस्था पर निर्भर करता है न कि उस क्षेत्र की जनता पर ?

(4) वर्तमान में निर्वाचित व कार्यरत सरपंचों, प्रधानों व जिला प्रमुखों में से कितने जन प्रतिनिधि इस प्रकार के हैं जो नवीन पंचायत राज चुनाव व्यवस्था लागू होने के पश्चात् पुन: निर्वाचित हुए ? जिलेवार नामों की सूची संलग्न करें व यह भी अवगत करावें कि प्रदेश में वर्गवार इनका क्या प्रतिशत है ?

(5) क्या यह भी सही कि निर्वाचित सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है ? वर्तमान सत्र में कितने सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कितने प्रस्ताव पारित हुए तथा कितने गिरे ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में नवीन पंचायती राज वर्ष 1994 में लागू किया गया, इसके लागू होने के बाद से अब तक वर्ष 1995, 2000 व 2005 में तीन आम चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी हां। लोकतांत्रिक व्यवस्था के मध्यनजर जनप्रतिनिधियों की विभिन्न विभागों में सहभागिता बढ़ने के कारण विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचा है।

(3) जी नहीं। पंचायती राज चुनाव में आरक्षण व्यवस्था लागू होने से सभी वर्गों को नेतृत्व का अवसर मिल रहा है तथा जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हुई है।

(4) नवीन पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात् पुनः निर्वाचित हुए जनप्रतिनिधियों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है। प्रदेश में इन वर्गों के लिये निर्धारित मापदण्डानुसार प्रतिशत है।

(5) जी हां। वर्तमान सत्र में सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख के खिलाफ पारित तथा गिरे अविश्वास प्रस्तावों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

बारां जिले के छबड़ा एवं छीपाबड़ौद क्षेत्र के जलग्रहण कार्यों में अनियमितताओं की जांच

18. श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) : क्या गामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2007 में जिला बारां के छबड़ा एवं छीपाबड़ौद क्षेत्र के जलग्रहण क्षेत्रों मे करवाये गये कार्यों की जांच किस-किस दिनांक को की गई ? विवरण जांच अधिकारी के नियुक्ति आदेश की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) जांच दलों द्वारा किस-किस कार्य की जांच की गई एवं जांच के क्या परिणाम रहे ? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जांच रिपोर्ट में दोषी अधिकारी/कर्मचारी एवं कार्यकारी एजेन्सी के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही किस-किस दिनांक को की गई ? इस सम्बन्ध में जारी पत्रों-आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2007 में विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में विभाग द्वारा सम्पादित

(ग्रामीण विकास मंत्री जी)

कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 416-22 दिनांक 22.6.07 द्वारा निम्नांकित अधिकारियों का दल गठित किया गया :-

1. संयुक्त निदेशक ज.ग्र.वि. एवं भू.-सं. वृत्त कोटा।
2. उप निदेशक (प्रशिक्षण), मुख्यालय जयपुर।
3. सहायक अभियन्ता मुख्यालय जयपुर (प्रभारी जिला बारां)
4. सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय जयपुर।

उक्त दल द्वारा दिनांक 2.7.07 से 5.7.07 तक 8 जल ग्रहण क्षेत्रों की सेम्पल जांच की गई।

तत्पश्चात विभाग द्वारा पुनः विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में चल रहे कुल 44 जल ग्रहण क्षेत्रों की विस्तृत जांच हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 509-22 दिनांक 7.7.07 के द्वारा 11 सदस्यीय दल गठित किया गया। उक्त दल में निम्नांकित कार्मिक सम्मिलित थे :-

1. श्री सी.के.एस. परमार, संयुक्त निदेशक वृत्त कोटा।
2. श्री एम.पी. सोनी, अधिशासी अभियन्ता कोटा।,
3. श्री एन.के. गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, बारां।
4. श्री बी.एल. जैन, उप निदेशक (प्रशिक्षण)।
5. श्री राजेश सिंजर, सहायक परियोजना अधिकारी, कोटा।
6. श्री जी.के. शर्मा, सहायक परियोजना अधिकारी, बून्दी।
7. श्री ग्यारसी लाल, सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय जयपुर।
8. श्री मधुसूदन श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, मुख्यालय जयपुर।
9. श्री कामता नन्दन, सहायक अभियन्ता, मुख्यालय।
10. श्री महेन्द्र अग्रवाल, कनि. अभियन्ता, मुख्यालय जयपुर।
11. श्री नरेश अरोड़ा, कनि. अभियन्ता, मुख्यालय जयपुर।

इसके अतिरिक्त जांच दल के सहयोग हेतु जि.प. बारां से निम्नांकित अधिकारियों को भी संयुक्त निदेशक वृत्त कोटा के स्तर से लगाया गया :-

1. श्री एन.के. गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, बारां।
2. श्री डी.एन. बंसल, सहायक परियोजना अधिकारी, बारां।
3. श्री मधुसूदन शर्मा, कनि. अभि., पं.स. बारां।
4. श्री पी.पी. मरमिट, कनि. अभियन्ता, पं.स. बारां।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

5. श्री आर.के. मीणा, कनि. अभियन्ता, पं.स. अटरू।
6. श्री सौरभ भटनागर, कनि. अभि., पं.स. किशनगढ़।
7. श्री राजेन्द्र कुमार विजय, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक वृत्त कोटा।

उक्त सदस्यों के 4 दल गठित कर प्रत्येक दल को 11 से 12 जल ग्रहण क्षेत्रों की विस्तृत जांच करने का दायित्व सौंपा गया। जांच दल सं. 1, 2 एवं 3 द्वारा दिनांक 17.7.07 से 30.7.07 तक एवं जांच दल सं. 4 द्वारा दिनांक 15.7.07 से 5.8.07 तक जांच सम्पादित की गई। उक्त दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इकजाई कर संयुक्त निदेशक, ज.ग्र.भू.-सं. वृत कोटा द्वारा दिनांक 6.9.07 को प्रस्तुत की गई। दोनों दलों के कार्यालय आदेश की प्रतियां परिशिष्ट 1 एवं 2 पर संलग्न हैं।

(2) जांच दलों द्वारा विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति छबड़ा एवं पं.स. छीपाबड़ौद के अन्तर्गत चल रहे सभी 44 जल ग्रहण क्षेत्रों के सभी कार्यों की जांच की गई है। पंचायत समितिवार जल ग्रहण क्षेत्रों के नाम परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। जांच में जल ग्रहण क्षेत्रों में सम्पादित कार्यों के सम्बन्ध में कतिपय अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसका उल्लेख जल ग्रहण क्षेत्रवार जांच रिपोर्ट में है। जांच रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट 3 एवं 4 पर संलग्न हैं।

(3) जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के सन्दर्भ में प्रकरण अनुसंधान हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दिनांक 8.10.07 को प्रेषित किया गया है। प्रकरण में उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु जांच अधिकारी को आरोप प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करने हेतु दिनांक 8.10.07 को निर्देशित किया गया है एवं पर्यवेक्षकीय उदासीनता बरतने के लिए उत्तरदायी कार्मिकों की सूचना भिजवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां को दिनांक 6.10.07 को निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में जारी पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट 5, 6 व 7 पर संलग्न हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण के पुस्तकालय में रखी गयीं)

ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवारों की चयनित सूची के सम्बन्ध में प्राप्त अपीलों का निस्तारण

19. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बी.पी.एल. परिवारों की चयनित सूची के अनुसार 17.36 लाख परिवारों में से कितनों के मेडीकल रिलीफ कार्ड और बी.पी.एल. कार्ड बनाये गये ?

(2) ग्रामीण क्षेत्र में बी.पी.एल. परिवारों में नाम लिखवाने हेतु किस-किस जिले में कितनी-कितनी अपीलें प्राप्त हुई तथा उनमें से कितनी अपीलें स्वीकार की गई और कितनी अस्वीकार की गई ?

(3) नवीन सूची के अनुसार जारी की गई बी.पी.एल. सूची के कितने परिवारों को सूची जारी करने से अब तक गेहूं उपलब्ध कराना शेष है ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीपीएल की मूल सूची में भारत/राज्य सरकार के निर्देशानुसार निरन्तर अपील की प्रक्रिया के कारण बहुत अधिक संख्या में संशोधनों की संभावना थी, जिनके कारण राज्य सरकार द्वारा संशोधित सूची के अनुसार मेडीकेयर कार्ड जारी करने का निर्णय लिया गया था। अब संशोधित सूची के अनुसार मेडीकेयर कार्ड जारी करने की कार्यवाही चिकित्सा विभाग द्वारा की जा रही है। बीपीएल कार्ड भारत सरकार द्वारा बजट उपलब्ध न करवाने के कारण नहीं बनवाये जा रहे हैं।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों की सूची के विरुद्ध दायर अपीलों एवं उनमें से स्वीकृत/अस्वीकृत अपीलों की नवीनतम सूचना परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(3) बीपीएल की मूल सूची में भारत/राज्य सरकार के निर्देशानुसार निरन्तर अपील की प्रक्रिया के कारण बहुत अधिक संख्या में संशोधनों की संभावना थी, जिनके कारण राज्य सरकार द्वारा संशोधित सूची के अनुसार खाद्य विभाग द्वारा लागू करने का निर्णय लिया गया था। गेहूं उपलब्ध करवाने हेतु खाद्य विभाग को अनुरोध किया जा चुका है एवं खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड मुद्रित कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

परिशिष्ट 'अ'

Monthly Progrees Report of Disposal of Appeals for BPL Census 2002
Month July, 2007

S. No.	Name of District		No. of 1st Appeals registered				Total (a+b+c+d)	No. disposed	Details of appeals decided			Disposal of 2nd appeal			Net BPL Families upto the month
			Suo moto Resurvey		Appeals by persons				No. of new nemes added	No. of names deleted	No. of appeals rejected	No. registered	No. disposed off		
			Addition (a)	Deletion (b)	For additions	For deletion							Accepted	Rejected	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	AJMER	*	15919	1684	9906	278	27787	27787	9711	341	17735	0	0	0	32087
2	ALWAR		63630	9235	46802	1399	121066	108311	38726	7556	62744	0	0	0	69318
3	BANSWARA	*	49802	4043	5979	735	60559	60559	52190	4694	3675	0	0	0	166004
4	BARAN	*	1271	4016	35408	151	40846	40846	5854	4759	30233	0	0	0	42250
5	BARMER	*	566	388	6244	0	7198	1889	823	388	1042	0	255	508	113326
6	BHARATPUR		17491	13715	33943	521	65670	58734	13820	6351	38563	0	0	0	48954
7	BHILWARA	*	33285	11460	23956	34	68735	65279	32080	7643	25556	0	0	0	93344
8	BIKANER		5905	11385	41435	2148	60873	60873	14317	11227	35329	0	0	0	84140
9	BUNDI	*	16422	6688	27409	1	50520	50520	10824	6392	33304	0	0	0	35860
10	CHITTORGARH	*	40960	6422	10880	18	58280	58280	44075	6228	7977	0	0	0	93988
11	CHURU	*	15694	5360	38798	76	59928	50058	20815	4057	25153	0	0	0	67565
12	DAUSA		18815	26004	31433	34	76286	72266	19614	2949	49703	0	0	0	50718
13	DHOLPUR		11668	10589	427	0	22684	22419	8126	6534	7759	0	0	0	27111

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	DUNGARPUR	*	56014	10368	18962	341	85685	85685	57899	11094	16692	0	0	0	162440
15	GANGANAGAR	*	15055	16677	21420	2091	55243	55126	23318	16829	14979	27	6	21	70159
16	HANUMANGARH	*	16768	14138	26899	30	57835	50090	20225	22374	12110	0	0	0	42720
17	JAIPUR		6638	10738	30843	71	48290	46257	15919	9960	18345	87	14	73	63111
18	JAISALMER		6163	4090	597	2716	13566	12513	5937	548	6028	0	0	0	27150
19	JALORE	*	11837	9241	17013	640	38731	37270	17151	9594	9611	0	0	0	82891
20	JHALAWAR		43414	18425	35681	954	98474	36635	20209	3829	0	0	0	0	50808
21	JHUNJHUNU	*	9769	1673	6849	83	18374	15585	4962	1490	10179	2	0	2	13634
22	JODHPUR	*	67269	9590	7793	0	84652	66414	19728	6524	40162	0	0	0	91898
23	KARAULI	*	0	0	21632	26	21558	8632	2939	8	5767	0	0	0	51972
24	KOTA		25396	2508	14778	1594	44276	42646	12838	4983	24825	46	20	25	36557
25	NAGAUR		10951	10430	16576	172	38129	38129	12544	7441	18144	0	0	0	55207
26	PALI		13275	2200	26215	32	41722	39919	13593	208	26118	0	0	0	59397
27	RAJSAMAND	*	30797	3821	15822	6	50446	50061	27712	3792	18557	0	0	0	74479
28	S. MADHOPUR	*	14779	9926	20320	0	45025	19321	12507	8719	3837	0	0	0	37238
29	SIKAR	*	6086	5714	6827	9	18636	14043	6052	2068	5923	0	0	0	26121
30	SIROHI		348	570	796	980	2694	1483	128	903	452	0	0	0	25762
31	TONK		11478	1585	15203	4	28270	22122	14841	1546	5372	0	0	0	34273
32	UDAIPUR		68361	3362	3505	777	76005	76005	59288	4139	12578	0	0	0	239315
	TOTAL		**705826**	**246045**	**620251**	**15921**	**1588043**	**1395757**	**618765**	**185168**	**588452**	**162**	**295**	**629**	**2169797**

मिड-डे-मील योजनान्तर्गत लाभान्वित छात्र

20. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में छात्रों को मध्यान्ह भोजन (मिड-डे-मील) उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें

(2) राज्य में कितने सरकारी विद्यालयों तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है जिलेवार विद्यालयों की संख्या (अलग-अलग विद्यालय) नामांकित छात्रों की संख्या का गत तीन वर्ष का विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पाली जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6, 7 व 8 के छात्रों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों ? ब्लॉकवार, विद्यालयवार लाभान्वित बालकों की संख्या सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समस्त राजकीय एवं राज्य अनुदानित विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 100 ग्राम की दर से खाद्यान्न (गेहूं-चावल) उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह खाद्यान्न भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। भोजन पकाने के लिए केन्द्र मद से 1.50 रुपये एवं राज्य मद से 50 पैसे कुल 2 रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन दिये जाते हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान इस हेतु केन्द्रीय मद में 180 करोड़ रुपये तथा राज्य मद में 95 करोड़ रुपये का प्रावधान है। पौषाहार परिवहन व्यय के पुर्नभरण हेतु अधिकतम 75 रुपये प्रति क्विंटल की सहायता देय है। राशि की उपलब्धता के अनुसार भौतिक सुविधाओं (रसोइघर निर्माण, बर्तन आदि) के सृजन हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(2) विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। नामांकित छात्रों में से प्रत्येक कार्य दिवस को विद्यालयों में उपस्थित छात्रों को ही मिड-डे-मील दिया जाता है। अतः लाभान्वित छात्रों की संख्या प्रतिदिन की उपस्थिति पर निर्भर होती है एवं लगभग प्रत्येक दिन बदलती रहती है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) जी नहीं। भारत सरकार से अभी तक दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

परिशिष्ट-अ

S. No.	Name of District	No. of School	No. of Children Enrolled	No. of Schools	No. of Children Enrolled	No. of Schools	No. of Children Enrolled
		2004-05		2005-06		2006-07	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ajmer	1704	269645	2010	270485	2023	280788
2	Alwar	3151	407641	3298	390680	3417	368098
3	Banswara	3597	267387	3222	264602	3207	270857
4	Baran	1670	156684	1452	153870	1394	131275
5	Barmer	5418	416233	5114	368368	4959	381412
6	Bharatpur	2004	289621	2024	263459	2053	235220
7	Bhilwara	3672	273210	3168	253539	3216	239815
8	Bikaner	2227	227410	2277	242384	2030	227699
9	Bundi	1356	127494	1448	120052	1428	118520
10	Chittorgarh	2512	241128	2754	213741	2785	193112
11	Churu	1495	236156	1607	214304	1617	188762
12	Dausa	1560	174183	1660	190948	1680	168551
13	Dholpur	1258	166038	1299	177745	1303	159242
14	Dungarpur	2279	205202	2402	192269	2333	241632
15	Ganganagar	2191	208939	2248	183105	2247	170821
16	Hanumangarh	1406	158611	1265	147269	1287	146102
17	Jaipur	4057	499378	4205	481996	4330	490926
18	Jaiselmer	1476	89083	1333	95588	1376	101406
19	Jalore	2317	261408	1927	235743	2082	229970
20	Jhalawar	1869	186874	1801	172362	1834	164638
21	Jhunjhunu	1984	192596	2054	165788	2061	152952
22	Jodhpur	4465	385400	3769	402630	3749	406271
23	Karauli	1625	180440	1729	176092	1632	148813
24	Kota	1212	160171	1386	159050	1399	132353
25	Nagaur	3077	377134	3576	363151	3681	334331
26	Pali	1919	255852	2133	264670	2087	215795

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Rajsamand	1924	151535	1842	146383	1885	136038
28	S. Madhopur	1355	142235	1427	129034	1401	126075
29	Sikar	2360	279612	2560	239248	2578	213534
30	Sirohi	1035	162090	1077	126956	1064	106127
31	Tonk	1343	148519	1599	171312	1763	143197
32	Udaipur	5201	363283	4848	358806	4789	335728
	Toal	**74719**	**7661192**	**74514**	**7335359**	**74690**	**6960060**

जिलेवार विद्यालय संख्या सत्र 2006-07 (मिड-डे-मील)

क्र. सं.	जिला	राजकीय	लोकल बोडी	अनुदानित	ईजीएस	ए.आई सेन्टर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चूरू	685	879	17	0	36	1617
2	बीकानेर	557	1194	12	0	267	2030
3	झुन्झूनूं	645	1211	27	72	106	2061
4	गंगानगर	676	1328	52	30	161	2247
5	हनुमानगढ़	500	730	20	0	37	1287
6	जयपुर	2338	1662	76	254	0	4330
7	भरतपुर	740	1233	11	33	36	2053
8	अलवर	1056	2032	16	112	201	3417
9	धौलपुर	422	817	2	31	31	1303
10	दौसा	459	1049	2	34	136	1680
11	सीकर	831	1609	26	33	79	2578
12	जोधपुर	884	2547	66	35	217	3749
13	पाली	1333	623	3	0	128	2087
14	जैसलमेर	265	1053	1	0	57	1376
15	जालौर	579	1502	1	0	0	2082
16	सिरोही	48	994	0	22	0	1064
17	बाड़मेर	889	3610	1	0	459	4959
18	उदयपुर	992	3347	40	410	0	4789

19	बांसवाडा	589	2352	2	264	0	3207
20	डूंगरपुर	422	1838	1	72	0	2333
21	राजसमन्द	451	1362	1	71	0	1885
22	चित्तौड़गढ़	848	1807	6	124	0	2785
23	अजमेर	766	976	81	0	200	2023
24	भीलवाड़ा	844	1926	11	0	435	3216
25	टोंक	528	939	0	140	156	1763
26	नागौर	981	2454	13	0	233	3681
27	कोटा	470	649	10	157	113	1399
28	झालावाड़	634	966	1	61	172	1834
29	सवाईमाधोपुर	336	881	1	115	68	1401
30	बून्दी	396	900	1	55	76	1428
31	बारां	371	771	0	108	144	1394
32	करौली	399	1031	0	60	142	1632
	योग	21934	46272	501	2293	3690	74690

सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता

21. श्री वीरेन्द बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2003 में सरकार द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के तत्वावधान में राज्य स्तर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था ? यदि हां, तो उक्त प्रतियोगिता में किस-किस वर्ष के कितने-कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया तथा किस-किस वर्ग में क्या-क्या पुरस्कार दिए जाने निश्चित किए गए थे ?

(2) क्या उक्त निबंध प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा कर पुरस्कार वितरित कर दिए गए ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार निबंध प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा कर

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह प्रतियोगिता जिला स्तर पर दो वर्गों में आयोजित की गयी थी प्रथम वर्ग में कक्षा 8 से 12 के 3665 तथा द्वितीय वर्ग में कालेज विश्वविद्यालय के 1554 छात्र/छात्राओं ने अपने निबंध प्रस्तुत किये थे।

पुरस्कारों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1.	राज्य स्तरीय पुरस्कार :- (1) 51000/- रुपये		
2.	जिला स्तरीय पुरस्कार :-		
1	प्रथम पुरस्कार-1	प्रत्येक 5000/- रुपये	1. पुरस्कार स्कूली छात्र-छात्राओं के लिये एवं 1 पुरस्कार कालेज छात्र-छात्राओं के लिये।
2	द्वितीय पुरस्कार-1	प्रत्येक 3000/- रुपये	1. पुरस्कार स्कूली छात्र-छात्राओं के लिये एवं 1 पुरस्कार कालेज छात्र-छात्राओं के लिये।
3	तृतीय पुरस्कार-1	प्रत्येक 2000/- रुपये	1. पुरस्कार स्कूली छात्र-छात्राओं के लिये एवं 1 पुरस्कार कालेज छात्र-छात्राओं के लिये।
4	सांत्वना पुरस्कार-20	प्रत्येक 1000/- रुपये	1. पुरस्कार स्कूली छात्र-छात्राओं के लिये एवं 1 पुरस्कार कालेज छात्र-छात्राओं के लिये।

(2) जी नहीं। निबन्ध प्रतियोगिता होने के बाद जिलेवार निर्णायक मण्डल गठित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी उसी दौरान विधान सभा चुनाव की घोषणा तथा आचार संहिता लागू होने के कारण आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(3) जी नहीं। लम्बी अवधि के बाद उन प्रविष्टियों के आधार पर पुरस्कारों की घोषणा करने का औचित्य नहीं रहता है।

नादौती तहसील के क्षतिग्रस्त/जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्र भवन

22. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली जिले की तहसील नादौती के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं एवं इनके भवन जर्जर अवस्था में हैं जिसके कारण आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य स्थान पर संचालित हो रहे हैं ? यदि हां तो कौन-कौन से ?

(2) क्या सरकार इन जर्जर भवनों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। करौली जिले की तहसील नादौती के सभी 29 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 57 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इन 57 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 21 केन्द्र विभागीय भवन में संचालित हैं। इन 21 विभागीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 7 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन मरम्मत योग्य हैं। यह आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य स्थान पर संचालित नहीं हो रहे हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) इन पंचायत मुख्यालयों के 21 विभागीय भवनों में से 7 मरम्मत योग्य भवनों की मरम्मत हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों/पंचायत समिति को अनुरोध किया गया है।

परिशिष्ट–अ

करौली जिले की तहसील नादौती में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की सूची

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	आंगनबाडी केन्द्र का नाम	भवन की स्थिति
1	नादौती	नादौती-द्वितीय	छत मरम्मत योग्य केन्द्र इसी भवन में संचालित
2	तिमावा	तिमावा	छत मरम्मत योग्य केन्द्र इसी भवन में संचालित
3	धोलेटा	धोलेटा	छत मरम्मत योग्य केन्द्र इसी भवन में संचालित
4	गढखेडा	1. गढखेडा-I 2. गढखेडा-II	छत मरम्मत योग्य केन्द्र इसी भवन में संचालित
5	सलावद	सलावद	छत मरम्मत योग्य केन्द्र इसी भवन में संचालित
6	दलपुरा	दलपुरा	छत मरम्मत योग्य केन्द्र इसी भवन में संचालित

डेगाना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में साथिनों/सहयोगिनियों के रिक्त पद

23. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में साथिनों और सहयोगिनियों के कुल कितने पद सृजित हैं, कितने कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्तमान में कुल 276 आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं। ग्रामवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से साथिनों और सहयोगिनियों के सृजित, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम पद	सृजित	कार्यरत	रिक्त
1	साथिन	56	46	10
2	सहयोगिनी	263	181	82

(3) जी हां। साथिन एवं सहयोगिनियों के चयन हेतु क्रमशः आयोजित की जाने वाली आगामी महिला सभा एवं ग्राम सभाओं में इन सभी रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

वेस्टलैण्ड डवलपमेंट कार्पोरेशन/बोर्ड द्वारा आबंटित भूमि का उपयोग

24. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामनारायण मीणा)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वेस्टलैण्ड कार्पोरेशन/बोर्ड बनाया गया है ? यदि हां, तो कब व किस प्रयोजन से ? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कार्पोरेशन/बोर्ड द्वारा राज्य में कहां-कहां, कितना क्षेत्र चिन्हित किया गया है ? जिलेवार, पंचायतवार व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिन्हित क्षेत्र या बंजर भूमि (वेस्टलैण्ड) में से किस-किस संस्थान/निजी कम्पनी व अन्य किसी को कहां-कहां कितना क्षेत्र किन शर्तों पर तथा किस दर पर आबंटित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में उक्त आबंटित क्षेत्र की स्थिति या उपयोग का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सम्बन्धित नहीं ।

(3) सम्बन्धित नहीं ।

(4) सम्बन्धित नहीं ।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-1 की सूची)

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-1)

क्रमांक: प.10(2)प्रसु/सम/अनु.1/96 जयपुर, दिनांक 12 सितम्बर, 2005

<u>परिपत्र</u>

विषय :- सांसदों/विधायकों को सार्वजनिक समारोहों/बैठकों में आमंत्रित करने के संबंध में।

सांसदों/विधायकों से प्राप्त प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही करने, सरकार द्वारा उनके क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराने, क्षेत्र में आयोजित होने वाले विभिन्न राजकीय समारोहों एवं बैठकों में आमंत्रित किये जाने व उनके साथ सम्पर्क के दौरान शिष्टता और सम्मानजनक व्यवहार करने के संबंध में विस्तृत निर्देश इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.7.2001 द्वारा जारी किये हुए हैं।

शासन के ध्यान में लाया गया है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा आयोजित बैठकों/सार्वजनिक समारोहों में प्राय: संबंधित संसद सदस्य/विधायकों को आमंत्रित नहीं किया जाता। भारत सरकार ने उनके ज्ञापन क्रमांक 11013/6/2005/स्थापना(क) दिनांक 27.7.2005 द्वारा इस संबंध में पूर्व में भी जारी निर्देशों को पुन: दोहराने की आवश्यकता प्रतिपादित की है।

अत: उक्त निर्देशों के क्रम में निम्नांकित निर्देश पुन: प्रसारित किये जाते हैं :-

1. सांसदों/विधायकों से सम्पर्क के दौरान सरकारी सेवकों द्वारा सदैव शिष्टता पूर्वक व्यवहार किया जाय।
2. सांसदों/विधायकों से प्राप्त पत्रों पर तत्काल कार्यवाही कर उन्हें पावती एवं प्रगति से अवगत कराया जाय।
3. संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी विभागों/

उपक्रमों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों/समारोहों में संबंधित क्षेत्र के सांसदों/विधायकों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाय।

4. ऐसी सार्वजनिक बैठकों/समारोहों की सूचना संबंधित सदस्यों को द्रुतगामी संचार माध्यम से अग्रिम रूप से भेजी जावे ताकि उक्त सूचना उन्हें नियत समय से पहले मिल सके।
5. यह सुनिश्चित किया जाय कि माननीय सदस्यों को सूचना प्राप्त होने की पुष्टि संबंधित अधिकारी द्वारा कर ली गई है।
6. ऐसे समारोहों/बैठकों का आयोजन जहां तक संभव हो विधान सभा/संसद सत्र के दौरान नहीं किया जाय।
7. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि ऐसे सार्वजनिक समारोहों/बैठकों में सांसदों/विधायकों के बैठने हेतु अग्रिम पंक्ति में आरामदेह सीटों की व्यवस्था की जाय तथा विलम्ब से आने वाले सांसद/विधायकों की असुविधा को दूर करने हेतु उनके लिए निर्धारित स्थान/सीट को समारोह/बैठक के समापन तक आरक्षित रखा जावे और वहां किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बैठाना चाहिये, चाहे वे रिक्त ही रह जावें।

समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त निर्देशों की पालना उनके अधीन सभी स्तरों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा पूर्णतया गंभीरता से की जावे ताकि भविष्य में माननीय संसद सदस्यों/विधायकों को इस संबंध में कोई शिकायत नहीं हो।

मुख्य सचिव

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

हज यात्रियों को अब तक भी जमा राशि न लौटाये जाने विषयक

महोदय,

हर वर्ष की भांति वर्ष 2006 के दिसम्बर माह में हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों/जायरीनों से राज्य सरकार के द्वारा आवेदन मांगे जाने पर राज्य भर से आवेदन जमा हुये। हज यात्रा का कुर्रा निकालने के बाद कुर्रा में नम्बर न आने वाले कुछ जायरीनों को आज तक भी उनकी जमा राशि नहीं लौटाई गई है। इस बारे में हज आवेदकों में काफी रोष है। इन लोगों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। न ही कोई ध्यान दे रहा है। जबकि यह स्वभाविक प्रक्रिया होनी चाहिये कि हज कुर्रा में नम्बर न आने वाले जायरीनों की राशि तत्काल हज यात्रा प्रक्रिया समाप्त होते ही वापस लौटाई जावें।

लेकिन राज्य सरकार व राज्य हज कमेटी बेपरवाह है। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हज यात्रा पर भेजने की व्यवस्था में भी काफी गड़बडियां रही। जिससे भी राज्य से हज यात्रा पर जाने वाले व आवेदन करने वाले लोगों में काफी रोष रहा। अब तक राशि न लौटाने के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। नहीं की गई तो क्या कारण रहा।

अत: हज यात्रा पर न भेजे जाने वाले यात्रियों को उनकी राशि तुरन्त लौटाने व भविष्य में हज यात्रियों को भेजने में हुई गड़बडियों को रोकने हेतु राज्य सरकार को निर्देश देने हेतु निवेदन है।

एमामुद्दीन अहमद खान

(तिजारा)

पुरातत्व महत्व के जलाशयों के जीर्णोद्धार, संरक्षण विकास विषयक

माननीया जी,

मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम माननीया मुख्यमंत्री महोदया एवं नगरीय विकास राज्य मंत्री को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने जोधपुर शहर के अत्यन्त प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व के जलाशयों गुलाब सागर एवं

फतेहसागर का जीर्णोद्धार कर इस प्रकार से विकसित किया है कि वहां का नजारा देखने के लिए सायंकाल देशी-विदेशी पर्यटकों की भीड़ पड़ती है।

इसी कड़ी में मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान जोधपुर शहर के ही अन्य प्राचीन महत्व के जलाशयों गंगलाव तालाब एवं बाईजी का तालाब की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। पुरातत्व महत्व के इन तालाबों की महत्ता जहां पर्यटन की दृष्टि से तो है ही दूसरी तरफ जोधपुर में अभी भू-जल स्तर बढ़ने की समस्या बढ़ती जा रही है यदि इन तालाबों की नहरों को साफ कर इनका भी विकास गुलाब सागर, फतेहसागर तालाब की तर्ज पर किया जाय तो भू-जल स्तर बढ़ने की समस्या के निदान में भी सहायता मिल सकती है। तालाब के चारों ओर कलात्मक छीतर के पत्थर की जालियां लगा कर फव्वारें लगा कर सौन्दर्यकरण करने से भीतरी शहर जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है वहां पर्यटकों के ठहराव को बढ़ाया जा सकता है।

माननीया जी, इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जोधपुर शहर में प्राचीन महत्व के कई बावडियां एवं कुएं है यदि उन्हें भी संरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठाये जायें तो जहां उनकी प्राचीन कलात्मकता को संरक्षित कर पर्यटन आकर्षण के केन्द्र के रूप में उभारा जा सकता है वहीं दूसरी ओर स्थानीय क्षेत्र में जल-वितरण किया जाकर भू-जल स्तर बढ़ने की समस्या के निदान में भी सहायक बना जा सकता है।

सादर ।

सूर्यकान्ता व्यास

(जोधपुर)

पुष्कर राज से ग्राम कड़ैल, बस्सी होते हुये परबतसर बिदियाद मकराना जाने वाली सड़क को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (एमडीआर) घोषित करवाने बाबत

महोदय

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार के समस्त तीर्थों में प्रमुख कहलाये जाने वाले सब तीर्थों के राजा पुष्कर राज जहां पूरे देश ही नहीं वरन् विदेशों से भी लोग दर्शनार्थ एवं भ्रमण करने हेतु आते रहते हैं। यहां से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर मेरा विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय परबतसर एवं 80

किमी. की दूरी पर विश्वविख्यात संगमरमर नगरी मकराना स्थित है। परबतसर शहर से मेगा हाइवे नं. 7 निकलती है जो पंजाब, हरियाणा, गंगानगर, हनुमानगढ़, किशनगढ़, अजमेर, जयपुर एवं दिल्ली को जोड़ती है एवं स्टेट हाईवे नं. 21 जो मीरा बाई की नगरी मेड़ता, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर एवं जैसलमेर को जोड़ती है। साथ ही विश्वविख्यात मार्बल नगरी मकराना से नागौर होते हुये भी स्टेट हाइवे नं. 2बी जो जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर एवं जैसलमेर को जोड़ती है। साथ ही मकराना का मार्बल जो पूरे विश्व में विख्यात है जहां दुनिया के कोने-कोने से व्यापारी मार्बल क्रय करने आते हैं व यहां से तीर्थ नगरी पुष्कर में दर्शनार्थ एवं भ्रमण हेतु पधारते हैं।

मैं इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि तीर्थ नगरी पुष्करराज से वाया कड़ैल, बस्सी, भड़सिया होते हुये पीपलाद, वीर तेजाजी की पावन धरती परबतसर जाने वाली सड़क जो अजमेर, नागौर एवं जोधपुर, बीकानेर एवं अन्य कई जिलों को सीधा जोड़ती है उसे एमडीआर (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में) में क्रमोन्नत करवा दिया जाता है तो आने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ देश-विदेश से आने वाले मार्बल व्यापारी एवं भ्रमण पर आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों को जो पुष्कर के बाद मार्बल नगरी मकराना होते हुये जोधपुर बीकानेर एवं बाडमेर जैसलमेर की सैर करना चाहते हैं उन्हें आने जाने में काफी सुविधा तो मिलेगी ही साथ इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि परबतसर में दिनांक 18.08.07 को उपकारागृह भवन परबतसर के भवन के लोकापर्ण समारोह के कार्यक्रम में आपके द्वारा इस मार्ग को एमडीआर में क्रमोन्नत करवाने की घोषणा भी की थी।

अतः तीर्थ नगरी पुष्करराज से वाया कड़ैल, बस्सी, भड़सिया होतु हुये पीपलाद, वीर तेजाजी की पावन धरती परबतसर जाने वाले सड़क जो अजमेर, नागौर एवं जोधपुर, बीकानेर एवं अन्य कई जिलों को सीधा जोड़ती है उसे एमडीआर (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में) में क्रमोन्नत करवाने की कृपा करावें।

राकेश मेघवाल

(परबतसर)

नई बी.पी.एल. सूची में चयनित गरीब परिवारों के राशन कार्ड एवं मेडिकल रिलीफ कार्ड बनाकर लाभान्वित करने बाबत

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2006 को नवीन बी.पी.एल. सूची जारी कर दी गई है। परन्तु अभी तक उक्त सूची में चयनित व्यक्तियों के नये मेडिकल रिलीफ कार्ड एवं राशन कार्ड नहीं बनाये गये हैं। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब व असहाय वर्ग के लगभग 17 लाख 36 हजार बी.पी.एल. परिवारों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर सरकार ने सभी राजकीय चिकित्सालयों को यह निर्देश जारी कर दिये कि बिना बी.पी.एल. कार्ड व पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन्हें नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावे, लेकिन दूसरी ओर सूची जारी होने के एक साल व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पात्रों को मेडिकल रिलीफ कार्ड उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

जब कोई गरीब बीपीएल व्यक्ति नि:शुल्क चिकित्सा हेतु सरकारी अस्पताल में जाता है तो उसे पुन: अपनी तहसील में जाकर सक्षम अधिकारियों से प्रमाणिकता तथा बीपीएल सूची की प्रमाणित प्रति लाने को बाध्य किया जाता है जो कि सर्वथा अनुचित है और यह प्रक्रिया गरीब व्यक्ति पर अनावश्यक आर्थिक व मानसिक तनाव डालने के साथ ही बीमार व्यक्ति के इलाज में भी विलम्ब करता है।

इसी प्रकार नये राशन कार्ड उपलब्ध न कराये जाने से अभी तक नियंत्रित दर पर खाद्य सामग्री का वितरण 1998 में जारी सूची के आधार पर ही किया जा रहा है, जिससे नये चयनित परिवार लाभान्वित होने से वंचित रह रहे हैं।

सरकार द्वारा नई सूची जारी करने के उपरान्त भी नये राशन कार्ड एवं मेडिकल रिलीफ कार्ड जारी न करना एवं किसी भी प्रकार की काई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करना, कहां तक उचित है ?

अत: आपसे अनुरोध है कि अन्य राज्यों की भांति शीघ्र ही ग्रामीण गरीब परिवारों को उक्त कार्ड जारी कर सुविधाएं उपलब्ध कराई जावें।

डा. चन्द्रशेखर बैद

(तारानगर)

दौसा रेलवे स्टेशन के नजदीकी फाटक पर रेल पुल निर्माण के संबंध में

महोदय,

निवेदन है कि दौसा शहर में जयपुर आगरा नेशनल हाइवे नं. 8 पर एक रेल्वे फाटक है जो कि दौसा शहर में आने-जाने का एक मात्र रास्ता है जो कि इस रेल्वे फाटक से होकर जाता है। यह रेलवे फाटक रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है। पहले रेल्वे लाइन छोटी थी अब बड़ी लाइन हो गई है जिससे काफी रेलों का आवागमन बढ़ गया है जिससे दौसा का रेलवे फाटक अधिकांश समय बंद रहता है। इस कारण से दौसा जाने-आने में शहरी व ग्रामीण लोगों के लिए काफी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। कई बार तो अत्यधिक ट्रेफिक जाम हो जाता है तथा गंभीर बीमार लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

मान्यवर फाटक पर पुल बनाने के लिए दौसा की जनता ने हर स्तर पर मांग की तथा आन्दोलन भी किये किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही मूर्तरूप नहीं ले सकी है। इसलिए में निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार शीघ्र प्रस्ताव तैयार करे, रेलवे मंत्रालय भारत सरकार से बात करे, पत्र व्यवहार करें। ताकि पुल का निर्माण मूर्तरूप ले सके।

मैं पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्र से शीघ्र दौसा रेलवे फाटक पर पुल का निर्माण कराया जावे।

श्री बृजकिशोर शर्मा

(जयपुर ग्रामीण)

सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय विद्यालयों को माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक में क्रमोन्न्त किये जाने बाबत

मैं आपके मार्फत माननीय मुख्यमंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिनके कुशल नेतृत्व में शिक्षा मंत्रीजी ने आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर शिक्षकों की नियुक्तियां कर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। साथ ही सभी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालयों मे क्रमोन्नत करने, नव विद्यालयों का सृजन करने, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर शिक्षा के क्षेत्र में एक इतिहास रचा है, जो आने वाली पीढ़ी वर्षों तक याद रखेगी। सरकार की यह उपलब्धि राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित होगी। आपके नेतृत्व में ही बालिका

शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी ठोस प्रयास किये गये हैं, उसी का नतीजा सामने आ रहा है कि हर गांव व ढाणी की बालिकाएं प्राथमिक शिक्षा से जुड़ रही हैं। जनजाति क्षेत्र की बालिकाओं को बढ़ावा देने के हिसाब से आप द्वारा की गई व्यवस्थाओं का अनुसरण अन्य राज्य भी करने को आतुर हैं। इसके लिए राजस्थान की प्रत्येक बालिका आपकी ॠणी रहेगी।

अध्यक्ष महोदया आपके मार्फत मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी व शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार अपनी बच्चियों को उच्च शिक्षा हेतु दुरस्थ जगह भिजवाने में हिचकिचा रहे हैं। जो निश्चित ही चिन्ता का विषय है। सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में भी लगभग 135 ग्राम स्थित है जहां यह समस्या देखी जा सकती है। इस समस्या का काफी हद तक समाधान प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय सृजन की परिकल्पना करके किया जा सकता है। सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में स्थित 29 ग्राम पंचायतों में से लगभग 9-10 ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है। इस कारण से इन पंचायतों की बालिकाएं उच्च प्राथमिक शिक्षा से आगे अध्ययन करने से वंचित रह जाती हैं। अतः अनुरोध है कि सूरसागर क्षेत्र के शेष रही 9-10 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय सृजित कर बालिकाओं के अग्रिम अध्ययन का मार्ग प्रशस्त कराने का कष्ट करावें। आशा है माननीया मुख्यमंत्रीजी व शिक्षा मंत्रीजी इस संबंध में उचित निर्णय लेकर बालिकाओं के अग्रिम अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

सादर।

श्री मोहन मेघवाल

(सूरसागर)

लूणकरणसर की तहसील बीकानेर में दीनसर गांव की कृषि भूमि को भूमिहीन काश्तकारों को आबंटन एवं गांवों की सीमा संबंधी विवादों के संबंध में

मान्यवर,

विधान सभा क्षेत्र लूणरकरणसर की तहसील-बीकानेर में वर्ष 1971 में अनेकों भूमिहीनों को ग्राम-दीनसर, तत्कालीन तहसील-बीकानेर में कृषि भूमि

का आबंटन किया गया था। ठीक इसी प्रकार गांव से लगते जालवाली, बराला व अन्य गांवों में भी अनेकों भूमिहीनों को भूमि का आबंटन किया गया, जबकि मेरी जानकारी के अनुसार उक्त रकबा दीनसर गांव का ही था। एक ही गांव के रकबे को अलग-अलग व अनेकों गांवों का मानते हुए किए गए आबंटन के कारण मौके पर एक भूमि अनेक काश्तकारों को आबंटित हो जाने से विवाद की स्थिति बनी हुई है।

इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र की अन्य तहसीलों में भी अनेकों गावों में न सिर्फ गांव की सीमा संबंधी अस्पष्टता के कारण विवाद की स्थिति बनी हुई है, बल्कि अनेकों गावों में खेतों की सही पैमाइश न होने के कारण अधिकांश किसान न सिर्फ रिकार्ड के मुताबिक काबिज न होने के कारण आपसी विवादों में उलझे हुए हैं बल्कि रिकार्ड से कम/ज्यादा भूमि पर काबिज हैं।

अतः इस हेतु मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त गांवों का पुनः सीमा ज्ञान करवाकर उक्त लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करवाने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल

(लूणकरणसर)

विद्युत उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रोनिक विद्युत मीटरों के माध्यम से होने वाली हानि व परेशानी से उत्पन्न स्थिति विषयक

महोदय,

प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा चकरी वाले मीटरों को बदलकर उनके स्थान पर इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाये जा रहे हैं और यह कार्य भी अनट्रेण्ड व्यक्तियों द्वारा ठेके पर करवाया जा रहा है जिससे उपभोक्ताओं को उनकी लापरवाही व व्यवहार के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रोनिक मीटर के चिप एवं परिपथ (सर्किट) के कारण रीडिंग ज्यादा आती है। इस बदलाव के कारण विद्युत उपभोक्ताओं के बिल में पांच गुणा तक बढ़ोतरी हो गई है जिससे राजस्थान का विद्युत उपभोक्ता अपने को लुटा व ठगा सा महसूस कर रहा है।

विद्युत वितरण निगम द्वारा सिंगल फेस के अधिकांश उपभोक्ताओं को

विद्युत लाइन के साथ अर्थिंग वायर नहीं दिये जाने के कारण सही अर्थिंग नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से मकान में बरसात की नमी या दीवारों में पानी के रिसाव से भी इलेक्ट्रोनिक मीटर 24 घंटे चलते रहते हैं जब कि वास्तविक रूप में उपभोक्ता द्वारा कोई विद्युत उपभोग नहीं किया जाता है। यदि विद्युत निगम द्वारा अर्थिंग पाइंट दे दिया जाता है तो उपभोक्ता को इस लूट से बचाया जा सकता है।

पूर्व में जब इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाये गये थे इसकी लागत प्रति मीटर के 1100/- रुपये है अब वही मीटर बाजार में 110/- रुपये मिल रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को भारी नुकसान हुआ है। प्रावधान यह है कि जब इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाये जाये तब उन मीटर की जांच लैब रिपोर्ट उपभोक्ता को दी जाए लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है जिससे मीटर सही स्थिति की जानकारी उपभोक्ता को नहीं हो पाती है।

इलेक्ट्रोनिक मीटरों में लग्ज नहीं लगाये जाने के कारण अधिकांश मीटर स्पार्किंग के कारण जल जाते हैं तथा विद्युत बिल की राशि भी अधिक आती है। इलेक्ट्रोनिक मीटर पर क्लॉस वन 27 डिग्री सेन्टीग्रेड अंकित है जब कि राजस्थान का तापमान 5 डिग्री सेन्टीग्रेड से 48 डिग्री सेन्टीग्रेड तक हो जाता है क्या ऐसी परिस्थिति में उक्त मीटर सही रीडिंग बता पायेंगे।

अत: मैं लोगों में व्याप्त भय व असंतोष से उत्पन्न स्थिति की ओर प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय उर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर

(खारची)

विद्युत विभाग द्वारा गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर) में दोष पूर्ण नये इलेक्ट्रोनिक्स मीटर लगाने के सम्बन्ध में

महोदय,

गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर) में नये इलेक्ट्रोनिक्स मीटर पुराने मीटरों को हटाकर घर-घर लगाये गये हैं।

ये नये मीटर पुराने मीटरों की तुलना में तीन से चार गुना ज्यादा चलकर मीटर रीडिंग निकाल रहे हैं। इनके आधार पर जो बिजली के बिल आ रहे हैं वे तीन से चार गुना ज्यादा पैसों के उपभोक्ताओं के पास आ रहे हैं।

इससे आम जनता में भारी रोष व असन्तोष है। सब परिवारों का आर्थिक बजट गडबड़ा गया है सब जनता भारी परेशान है।

इस मुद्दे को लेकर गंगापुर सिटी में दिनांक 16.9.07 को सायंकाल लगभग 7.30 बजे एक आम सभा जनता की हुई थी, जिसमें मुझे भी क्षेत्रीय विधायक की हैसियत से बुलाया गया था।

सभा में विचार विमर्श होने के बाद जनता ने मुझे आदेश दिया है कि मैं इन दोषपूर्ण विद्युत मीटरों के बारे में विधान सभा में आवाज उठाऊ और राज्य सरकार व विद्युत मंत्री राज्य सरकार को जनता के निर्णय से अवगत कराऊ कि यदि शीघ्रतिशीघ्र अन्दर मियाद 7 दिन इन दोषपूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स मीटरों को विद्युत विभाग द्वारा गंगापुर सिटी की आम जनता के घरों व प्रतिष्ठानों से नहीं बदला गया और बढ़े हुये बिल वापिस नहीं लिये तो जनता को विवश होकर बन्द, हड़ताल, आन्दोलन व प्रदर्शन का रास्ता अपनाना होगा, जिसकी जिम्मेदार खुद राज्य सरकार होगी।

अतः मैं अपनी जिम्मेदारी आवाज उठाने की उपरोक्त नियम के अन्तर्गत विधान सभा में निभा रहा हूँ।

सधन्यवाद ।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल

(गंगापुर सिटी)

जयपुर की विद्याधर नगर कालोनी के सैक्टर-4 से लगती हुई भूमि पर कचरा डिपो खोलने से उत्पन्न समस्या

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनपोल की विद्याधर नगर कॉलोनी के सैक्टर चार से लगती हुई भूमि पर जयपुर नगर निगम द्वारा कचरा डिपो की स्थापना कर दी गई है जिसकी दुर्गन्ध के कारण कॉलोनीवासियों का जीना दूभर हो गया है। इस कचरा डिपो में प्रतिदिन करीब 100 से 200 तक कचरे के ट्रक आते हैं और दिनभर कचरा डालने का कार्य चलता रहता है। इस संबंध में हाल ही में स्थानीय निवासियों द्वारा प्रदर्शन एवं रास्ता रोक कर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। संबंधित अधिकारियों ने इसका शीघ्र समाधान कर कचरा डिपो को अन्यत्र ले जाने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कारगर कार्यवाही नहीं होने के कारण स्थानीय निवासियों में रोष एवं आक्रोष व्याप्त है जो कभी भी उग्र रूप ले

सकता है। इस गंदगी और मरे हुए जानवरों से माहमारी फैलने का भी अंदेशा बना हुआ है जिसे जनहित में रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को मैं सदन में उठाना चाहता हूं। कृपया अनुमति प्रदान करें।

मोहनलाल गुप्ता
(किशनपोल)

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले की पेयजल योजनाओं को समय सीमा में पूरा करने विषयक

महोदय,

बाड़मेर एवं जैसलमेर सीमान्त एवं मरूस्थलीय जिले हैं जहां अपवाद को छोड़ हमेशा वर्षा बहुत ही कम या अनावृष्टि होने से पानी, चारे व अनाज का संकट रहता है। वर्तमान सरकार के सत्ताग्रहण करते ही इन जिलों में पानी के गहरे संकट से निजात दिलाने के लिए 3750 करोड़ रुपये की पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति दी है एवं अधिकांश योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।

एक तरफ जहां विगत सरकार ने बाड़मेर जैसे दुर्गम जिले की बड़ी पेयजल योजनाओं के लिए एक कोड़ी भी धनराशि का प्रावधान नहीं किया तथा बाड़मेर लिफ्ट योजना हेतु केवल शिलान्यास का पत्थर तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा लगाया गया।

आपके माध्यम से सरकार को हार्दिक साधुवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बाड़मेर जिले हेतु निम्नलिखित बड़ी पेयजल परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति देकर कार्य प्रारंभ किया है या शीघ्र किया जाने वाला है।

- बाड़मेर लिफ्ट केनाल (राशि 1388 करोड़ रु.) जिससे बाड़मेर जैसलमेर जिलों के 691 गांवों बाड़मेर शहर तथा सेना क्षेत्र लाभान्वित होगा। कार्य प्रगति पर है इसको समय पर पूरा करने का निवेदन है।
- पोकरण, फलसूण्डा, उण्डू, बालोतरा एवं सिवाना के 403 गांवों व दो शहरों को पेयजल मुहैया करवाने की 967 करोड़ की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति तुरंत जारी करवाकर यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ करावें।
- इन्दिरा गांधी नगर को गडरा रोड़ तक पहुंचाने के लिए सरकार ने अपने प्रथम बजट में तथा उसके बाद भी कई बार प्रतिबद्धता दर्शाई तथा 300 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान भी किया परन्तु निर्माण कार्य एक

मीटर भी आगे नहीं बढ़ पाया है इसको तुरंत ही गडरा रोड़ तक पहुंचाने के प्रयास किये जावें।

- नर्बदा का पानी जालौर एवं बाड़मेर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रारंभिक महीने में गंभीरता से प्रयास किये। जिससे इसका कार्य बहुत प्रगति पर है तथा करीब 500 करोड़ रुपये व्यय किये है या प्रावधान किया है। इस परियोजना से बाड़मेर क्षेत्र में निर्माण कार्यों को गति दिलाई जावे।
- इसी तरह धवा, डोली, समदड़ी एवं खंडव परियोजना के अन्तर्गत 591 करोड़ रु. की योजना की वित्तीय स्वीकृति जारी कार्य प्रगति पर है। जिससे 360 गांवों व समदड़ी कस्बा पेयजल सुविधा से लाभान्वित होगा। इसका कार्य समय सीमा में पूरा कराने की मांग है।
- बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं एवं हेल्परों के पद रिक्त पड़े हैं इन रिक्त पदों को शीघ्र भरने की महत्ती आवश्यकता है जिससे जिले की पेयजल परियोजनाओं को भी गति मिल सके।

बूढ़िया परियोजना (नगर खण्ड बाड़मेर) के कनिष्ठ अभियन्ता के स्वीकृत पद को विगत सरकार ने समाप्त कर दिया था जिसको जनहित में पुनः स्वीकृत किया जाये।

डा. जालम सिंह रावलोत
(शिव)

श्री परशुरामपुरिया राजस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय, सीकर की व्यवस्था के संदर्भ में

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये सीकर में स्थित श्री परशुरामपुरिया राजस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय, सीकर की व्यवस्था के संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगी।

इस आयुर्वेद महाविद्यालय का संचालन एक ऐसी समिति कर रही है जो एक पारिवारिक प्रबन्ध समिति है जिसका गठन ही असंवैधानिक है तथा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1957 का अनेकों स्तर पर उल्लंघन करती है इसे निरस्त किया जाना आवश्यक है तथा महाविद्यालय की चल अचल सम्पत्ति में सरकार

का वर्तमान तक कितना रुपया लग चुका है, कितना सार्वजनिक सम्पत्ति के रूप में है जो दानदाताओं से प्राप्त हुआ है स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये।

सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से इस संस्था को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है तथा काफी विवाद होने के कारण सरकार को इस सार्वजनिक सम्पत्ति को अधिग्रहण करना चाहिये। इस संस्था में काफी स्थान रिक्त होने कारण जिला आयुर्वेद अधिकारी, सीकर के कार्यालय को यहां पर चलाया जावे तो उसके किराये से भी सरकार को बचत होगी तथा अन्य कई साधन हैं जिससे सरकार इस आयुर्वेद महाविद्यालय पर होने वाले वित्तीय भार से बच सकती है। साथ ही इसे राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का संघटक कॉलेज बना दिया जावे तो सरकार को अनुदान भी नहीं देना पड़ेगा।

अंत में मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया एवं आयुर्वेद मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि सीकर में स्थित श्री परशुरामपुरिया राजस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय, सीकर का सरकार अपने स्तर पर अधिग्रहण कर संचालित करे तो उचित रहेगा तथा अधिग्रहण से पूर्व प्रबन्ध समिति के स्थान पर प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जावे ताकि इस संस्था में होने वाले विवाद को रोका जा सके।

जयहिन्द।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा
(सीकर)

परिशिष्ट-3

कार्य सलाहकार समिति का 19वां प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2007 को मध्यान्ह 12.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 19 सितम्बर, 2007 से 21 सितम्बर, 2007 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :-

बुधवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2007	1. अनुपूरक अनुदान की मांग वर्ष 2007-08 का उपस्थापन, विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण।
	2. राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।
	3. राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007।
	4. राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2007 एवं
	5. राजस्थान लोक न्याय संशोधन विधेयक, 2007
गुरूवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2007	1. राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2007 एवं
	2. राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार एवं पारण
शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2007	1. प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 पर विचार एवं पारण।